राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवीं बैठक, दिनांक २४ फरवरी, १९५३

सदन का कार्य २ बजकर ५ मिन्ट पर प्रारंभ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २५६

श्री भैरूंसिंह (वि० स० १२)—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(अ) बाली-देसूरी तहसील के जागीरी क्षेत्र में सेट्लमेन्ट की व्यवस्था में कुल कितना समय लगा और कितना खर्च हुआ ?

(ब) बाली-देसूरी तहसील में बिगोड़ी की जो दर कायम हुई हैं उसनें विशेष अन्तर क्यों है; जब कि दोनों तहसीलों की औसत पैदावार प्राय: समान ही है ?

(स) बाली-देसूरी तहसील में बिगोड़ी के आंकड़े किस प्रकार कायम किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री) —(अ) बाली व देसूरी तहसीलों के जागीरी क्षेत्र में सेट्लमन्ट का कार्य पैमाइश से लेकर परचा वितरण तक साढे तीन साल में पूरा हुआ। खर्च का अनुमान परचे बँट जाने के बाद ही लगाया जाता है। जिसके विषय में आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(ब) बाली और देसूरी तहसीलों की बीघोड़ी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। सिर्फ चाही रकबे की रेट बाली तहसील में देसूरी तहसील से कुछ अधिक है। इसका कारण यह है कि बाली तहसील की चाही जमीन देसूरी तहसील की चाही जमीन से अच्छी थी और इसके अलावा यातायात व बिक्री के साधन इस तहसील में अधिक हैं।

(स) बाली और देसूरी तहसीलों में बिघोड़ी के आंकड़े मारवाड़ लेन्ड रेवन्यू एक्ट की धारा ८२ के अनुसार निर्धारित किये गये।

श्री खेतसिंह—क्या मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सेट्लमेन्ट के खर्च का सारा अथवा कुछ पोर्शन जागीरदारों से वसूल किया जायगा ?

Page No.2

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—नियमानुसार इस बारे में कार्यवाही की जायगी।

श्री **माधोसिंह**—आपने अभी फरमाया कि बाली और देसूरी की जमीनों में अन्तर है। क्या यह विशेषज्ञों के जांच करने के बाद फरमाया या यों ही फरमाया ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—जी हां, विशेषज्ञों के जांच करने के बाद यह कहा गया।

एक माननीय सदस्य—जमीनों के अलग अलग ग्रेड्स होंगे; क्या आप बतलावेंगे कि बाली की जमीन कौन से ग्रेड की है और देसूरी की जमीन किस ग्रेड की है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—सेट्लमेन्ट विभाग की तरफ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स जांच करते हैं और उसी के अनुसार तय किया जाता है।

श्री **जवानसिंह**—जो रेट नियत की जाती है क्या उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—रेट्स निश्चित समय के लिये निर्धारित की जाती है; यह बीच में नहीं बदली जा सकती।

श्री **माधोसिंह**—विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच को वापिस करने की मांग की जाने पर क्या दुबारा जांच करायेंगे।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—जांच बार-बार नहीं हुवा करती।

श्री **माधोसिंह**—क्या सेट्लमेन्ट विभाग द्वारा भेजे जाने वाले विशेषज्ञ क्वालिफाइड हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—जी हां।

प्रश्न संख्या २५७

श्री **भैरूंसिंह (वि० स० १२)**—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(अ) देसूरी-बाली तहसील से बिगोड़ी कम या अधिक लगने सम्बन्धी कितनी रिपोर्टें आई हैं ?

(ब) भूमि के पट्टे गलत बनने के सम्बन्ध में कितनी रिपोर्टें आई हैं ?

(स) सरकार ने 'अ' और 'ब' में कथित रिपोर्टों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है ?

(ड) क्या इन रिपोर्टों के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है ?

(इ) यदि 'ड' का उत्तर "हां" में है तो सरकार ने जांच का क्या सार निकाला ?

Page No.3

[भैरूंसिंह]

(फ) क्या सरकार मौजूदा बिगोड़ी को जैसी कि रिपोर्टों में प्रार्थना की गई है उचित कार्यवाही कर घटाने-बढ़ाने का इरादा रखती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(अ) ७३८ दरख्वास्तें पेश हुई ।

(ब) ७१३ दरख्वास्तें पेश हुई ।

(स) चूंकि लगान की दर पहले से ही सारी बातों का ध्यान रखते हुये मुकर्रर की गई थी इसलिए आगे कदम उठाने का प्रश्न पैदा नहीं होता । पट्टे के मुताल्लिक दरख्वास्तों पर मुनासिब कार्यवाही की जा रही है ।

(द) कानून के मुताबिक सब दरख्वास्तों का फैसला बाद जांच किया जा रहा है; जो सही एतराज होंगे उनमें दुरस्ती की जावेगी ।

(फ) नहीं ।

श्री माधोसिंह (भैंसवाडा)—क्या यह सही है कि पेन्डिंग दरख्वास्तों की वजह से लगान रुका हुआ पडा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पर्चों के आधार पर लगान रुका हुआ होगा । अंतिमरूप से पर्चे नहीं बंटने के कारण रुका हुआ होगा ; न कि पेन्डिंग दरख्वास्तों के कारण से ।

श्री माधोसिंह—जमीन की किस्म तय की गई है उसके खिलाफ काश्तकारों ने अपीलें की हैं, इस वजह से लगान रोका गया है ; क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—नहीं, इस वजह से नहीं रुका ।

श्री माधोसिंह—यदि इस वजह से रुका है तो क्या सरकार दिलवाने की कोशिश करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कानून के अनुसार जांच करने के बाद ही तय किया जा सकता है ।

प्रश्न संख्या २५८

श्री घासीराम—क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) तिजारा (अलवर) स्माल टाउन कमेटी में इस साल बजट से कितना अधिक खर्च हुआ है ?

(ख) अधिक रुपये खर्च करने की मंजूरी खर्च करने से पहले हासिल की गई या बाद में ?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

Page No.4

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री))—

(क) तिजारा (अलवर) स्माल टाउन कमेटी में इस साल बजट से ५,५१४ रुपया १४ आने ६ पाई अधिक खर्च हुआ है।

(ख) अधिक व्यय करने की मंजूरी खर्च करने के बाद में हासिल की गई है।

(ग) नहीं। नियमानुसार बोर्ड को लिख दिया गया है कि भविष्य में बजट की स्वीकृत रकम के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय नहीं किया जावे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५६

श्री अध्यक्ष—**श्री तनसिंह**—(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह—श्री तनसिंह अभी आये नहीं मालूम होते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न को प्रस्तुत करूं?

("यह कैसे हो सकता है?" इस प्रकार की सदन में सदस्यों की तरफ से आवाज)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६०

श्री भैरूंसिंह (वि.सं. १२)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे.....

(अ) सरकार ने देसूरी से रानी तक की सडक बनाने का कई बार आश्वासन दिया है और यह अपनी योजना में रखा है परन्तु अभी तक यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र ही सम्पन्न करने का प्रयास करेगी?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर "हां" में है तो इसकी आशा कब तक की जा सकती है?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—

(अ) हां, अर्थाभाव निवारण होते ही अवश्य किया जावगा।

(ब) उत्तर 'अ' में आ जाता है।

श्री जसवन्तसिंह—इस आर्थिक कठिनाई का कब तक निवारण हो जायगा?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—आपके सामने बजट पेश किया जाने वाला है। आप ही देखियेगा कि निवारण कब तक हो सकता है?

Page No.5

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह आर्थिक कठिनाई दूसरे कामों के लिए भी इसी तरह लागू होती है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अन्य कार्यों के लिए भी लागू हो सकती है ।

एक सदस्य—क्या यही बात अलवर की सड़क के लिए भी लागू होती है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—मैं आपको साफ बता दूं कि कई ऐसे जिले, तहसीलें हैं जहां सडकें नहीं हैं और सदस्यों की तरफ से मांग आती है तो उन जगहों को प्रायोरिटी दी जाती है और ज्योंही पैसों की व्यवस्था हो जाती है त्योंही उन कामों को शुरू कर दिया जाता है। यह बात मैं आपको अपने पिछले वक्तव्यों में भी कई बार बतला चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २६१

श्री भैरूंसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या बाली–देसूरी तहसील में इस वर्ष कोई नई सडक बनवाई गई है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर ना में है तो क्या सरकार यहां के भारी यातायात का ध्यान रखते हुए यह कार्य अपनी योजनाओं में सम्मिलित करना पसन्द करेगी ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(अ) बाली देसूरी तहसील में इस वर्ष कोई पक्की सडक नहीं बनाई गई, परन्तु कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट (सामुदायिक विकास योजना) के आधीन कुछ ग्राम्य–मार्गों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है।

(ब) सरकार की इच्छा तो प्रत्येक गांव के लिये सडक और बढ़िया से बढ़िया सडक बनाने की है और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए आर्थिक स्थिति के अनुसार काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २६२

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार जिला बूंदी में सिंचाई के लिए इस वर्ष नये बांध बधाने की योजना रखती है या नहीं ?

(ख) यदि रखती है तो किस किस बांध के लिए ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—(क) हां ।

(ख) जिला बूंदी में इस वर्ष एक ही नया बांध गुड़ा का सेज नदी पर बांधने की तजबीज है।

Page No.6

श्री संतोषसिंह—इसमें क्या लागत लगेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिर्फ ३७ लाख रुपया।

श्री हिम्मतसिंह—क्या आपने बांध इसी वर्ष बंधने के लिए फरमाया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, इसी वर्ष शुरू होगा।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह इसी साल पूरा हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—सन् १९५३-५४ के बजट में इस बांध के लिए ९ लाख रुपया रखा गया है।

श्री हिम्मतसिंह—तो इसका मतलब आयन्दा साल से हुआ।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—आर्थिक वर्ष की दृष्टि से. आयन्दा साल ही समझना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६३

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बूंदी जिले के सिंचाई योग्य बांध जो कि टूटे हुए हैं उन्हें इस वर्ष ठीक कराने की योजना सरकार रखती है।

(ख) यदि हां, तो किस किस बांध के लिए और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—बरदा बांध इस वर्ष ठीक कराया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६४

श्री भैरूंसिंह—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार यह जानती है कि बिगोड़ी और उसके मौजूदा दर के प्रति देसूरी-बाली जनता में असंतोष है ?

(ब) और क्या यह भी जानती है कि सरकार राजस्थान सरकार ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए १।६ लटाई की जो दर मुकर्रर की थी जनता उससे संतुष्ट थी और आज भी उसी दर को पसंद करती है ?

(स) क्या सरकार मौजूदा बिगोड़ी की दर में कुछ कमी करके अपनी उदारवृति का परिचय देगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**--(अ) कोई असंतोष नहीं है।

(ब) इसका मैं ऊपर जबाब दे चुका हूं।

(स) पूर्ण सोच विचार करके ही दरें रखी गई थीं।

एक सदस्य—सरकार की ओर से, जब उनके पास अनेक प्रार्थना-पत्र आने पर भी यह फरमाया जाता है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन रिपोर्टों में जनता की क्या मांग थी ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—कहीं लगान कम करने की मांग थी तो कहीं बढ़ाने की।

श्री **माधोसिंह**—क्या जनता नें दरें बढ़ाने की भी माग की थी ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**--जनता में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं।

श्री **सन्तोषसिंह**—क्या वे कांग्रेसी ही थे ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—सभी तरह के व्यक्ति इसमें आ जाते हैं; चाहे कांग्रेसी हों या और कोई।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६५

श्री **भवानीसहाय शर्मा**—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करें—

(अ) क्या यह सत्य है कि गांव अलेई तहसील राजगढ में दो मालियों की जमीन पर मीनों ने बलात् अधिकार कर लिया है ?

(ब) यदि उत्तर "हां" में है तो सरकार ने ऐसे मामले में क्या कार्यवाही की है ?

(स) सरकार के पास ऐसी कितनी घटनाएं राजगढ तहसील की हैं ? ऐसी कितनी घटनाओं के प्रमाण विद्यमान हैं तथा सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**—(अ) घीस्या और रघुनाथ माली ने ऐसे दावे किये हैं और उनकी सुनवाई हो रही है।

(ब) कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी।

(स) इस तरह के पन्द्रह दावे और दायर हुए हैं जो तहसील राजगढ के पास मुन्तकिल कर दिये गये हैं। सुनवाई हो रही है और यह मामला सबज्युडिस है। सही हालात नहीं कह सकता।

श्री **संतोषसिंह**—जो नाम सरकार द्वारा बतलाये गये हैं, क्या उनके पहले 'श्री' लगाने में कोई हिचकिचाहट है ?

Page No.8

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**--बिल्कुल नहीं ।

श्री **संतोषसिंह**--तो फिर 'श्री' क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट ।

श्री **भवानीसहाय**--इस सवाल पर कुछ और पूछना है ।

श्री **अध्यक्ष**--I cannot allow now. Next.

प्रश्न संख्या २६६

श्री **तनसिंह**-क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

बाढमेर म्युनिसिपैलिटी में हरिजनों और मजदूरों को आबाद करने के लिए रियायती कीमत पर म्युनिसिपल हद्दूद के अन्दर मकान बनाने के लिए सरकार जमीन देने का प्रयत्न कर रही है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**-यह प्रश्न मुझ से सम्बन्धित है और मैं इसका उत्तर देता हूं । बाढमेर म्युनिसिपैलिटी में हरिजनों को आबाद करने के लिए रियायती कीमत पर म्युनिसिपल हद्दूद में जमीन देने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री **तनसिंह**--यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है, ऐसा कहा गया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह विचाराधीन क्यों नहीं है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**--बहुत से स्थानों पर ऐसे प्रश्न विचाराधीन हैं और बहुत से स्थानों पर विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री **तनसिंह**--क्या नगरपालिका के विषय में आश्वासन नहीं दिया गया था ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**--यह मैं नहीं जानता हूं। आप जनरल प्रश्न कर रहे हैं ।

प्रश्न संख्या २६७

श्री **तनसिंह**-क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

१. क्या सरकार जानती है कि सरवाड़ नगरपालिका के चुनाव की सूचना साढे तीन माह बाद प्राप्त हुई है ?

२. जिस शख्स ने इतनी देर से इत्तला दी है उसके खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—१. यह सत्य नहीं है। चुनाव १-१२-५१ को सम्पन्न हुए और रिटर्निंग अधिकारी ने उसकी सूचना ५-१२-५१ को सम्बन्धित कलेक्टर को तथा ३१-१२-५१ को सरकार को भेजी।

२. प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

श्री **तनसिंह**—क्या माननीय मंत्री महोदय पिछले सत्र की कार्यवाही देखने का कष्ट करेंगे, जिसमें यह जाहिर किया गया था कि साढे तीन महिने बाद इत्तला पहुंची है और देरी से पहुंची है, इसलिए उस शख्स के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी ?

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त मंत्री)**—यह सत्र भी याद है और वह सत्र भी याद है। आप चाहे तो मैं स्टेटमेन्ट दे सकता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६८

श्री **अध्यक्ष**—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६६

श्री **भैरूंसिंह** (वि. स. १२)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सरकार यह जानती है कि राणकपुर (देसूरी तहसील) का मन्दिर भारत के प्रतिष्ठित मन्दिरों में से एक है जहां प्रति वर्ष हजारों यात्री विभिन्न प्रान्तों से दर्शनार्थ आते हैं ? इस वर्ष भी इसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आने की संभावना है ही नहीं, विश्वास भी है ?

(ब) यदि 'अ' का उत्तर 'हां' में है तो सरकार ने सादड़ी से राणकपुर तक का मार्ग कराने की क्या व्यवस्था की है ?

(स) क्या सरकार सादड़ी और राणकपुर के बीच इस पांच छः मील सड़क आदि की समुचित व्यवस्था कर यातायात में सुगमता देगी एवं राजस्थान की पवित्र ऐतिहासिक महत्व की भूमि की शोभा बढ़ायेगी ?

(ड) यदि 'स' का उत्तर 'हां' है तो इसकी कब तक आशा की जा सकती है ?

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)-(अ) इस वर्ष राणकपुर के प्रसिद्ध जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा ११ से १८ फर्वरी, ५३ की थी।

(ब) राणकपुर से सादड़ी तक का मार्ग जैन संघ द्वारा अच्छी तरह से ठीक कर दिया गया है। जन कार्य विभाग के कर्मचारियों ने देखरेख के लिए, जैन संघ ने जो सहयोग मांगा वह दियां। जन कार्य के बजट के अनुसार ३७५) रुपयों का काम इस विभाग द्वारा इस सडक को ठीक करने में खर्च किया गया।

(स) सादड़ी से राणकपुर और वहां से मालगढ़ चोकी तक पक्की सड़क बनाने की योजना विचाराधीन है। यह ८ मील का टुकडा है और इसकी लागत १,५००००) रुपये हैं।

(ड) आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसके निमार्ण में कुछ समय लगेगा।

एक सदस्य—यह कब तक बन जायेगी ?

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—आशा तो करनी ही चाहिये।

श्री **संतोषसिंह**—पक्की सडक से मतलब क्या टार रोड से है ?

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—पहले तो यह सड़क मेटल होगी।

श्री **संतोषसिंह**—फिर यह टार रोड होगी या नहीं ?

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा?

श्री **अध्यक्ष**—Will the Road be tarred ?

श्री **भोलानाथ** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—पहले तो यह मेटल्ड होगी और बाद में टार्ड करने के लिये आर्थिक स्थिति को देख कर विचार किया जा सकता है।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७०

श्री **छोतरलाल शर्मा**- क्या खाद्य तथा नागरिक रसद मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:--

(क) सरकार खाद्य पदार्थ के नियंत्रण को इस वर्ष हटा रही है ?

(ब) यदि हां, तो कब तक ?

श्री **भोगीलाल पंड्या** (खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री)-राजस्थान अभी तक खाद्यान्न में पूर्ण स्वावलम्बी नहीं है इसलिये किसी न किसी रूप में नियन्त्रण रखना आवश्यक है, फिर भी जहां तक गल्ले के यातायात का प्रश्न है इसमें काफी ढिलाई कर दी गई है और अवस्थानुकूल और भी प्रगति की जा सकती है।

Page No.11

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७१

श्री श्यामलाल—क्या सिविल सप्लाईज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) गई उन्हालू में मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट से राजस्थान में कितना कितना और क्या क्या गल्ला वसूल हुआ ?

(२) क्या व्यापारियों से पूरा गल्ला वसूल हो चुका है ?

(३) अगर नहीं, तो कितना गल्ला वसूल करना बाकी है ?

(४) बाकी गल्ले की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(५) क्या उस बाकी गल्ले की वसूली माफ करने का सरकार का ख्याल है ?

(६) अगर नहीं तो क्या अदालती कार्यवाही की जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—१. राजस्थान फूड ग्रेन्स (रवी) मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट ऑर्डर, १९५२ के अन्तर्गत गत रवी में जो गल्ला उपलब्ध हुआ उसकी किस्म व मात्रा निम्नलिखित है :-

गेहूं		५,८३,४९४ मन ।
जौ		२,३२,२४० मन ।
चना		३,८८,४९३ मन ।
मिश्रित गल्ला		४,२२९ मन ।
	कुल	१२,०८,४५६ मन ।

२. व्योपारियों से अधिकांश मात्रा में लेवी का गल्ला वसूल हो चुका है ।

३. अब कितना गल्ला वसूल होना शेष है इसके सम्बन्ध में आंकड़े संकलन कराये गये हैं जो एनकरीब ही प्राप्त होने वाले हैं ।

४. बकाया गल्ले की वसूली के लिए सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं कि उन व्योपारियों के अतिरिक्त जिन्होंने उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत कर रखा है, अन्य जिन जिन व्यापारियों से लेवी का गल्ला वसूल होना बाकी है उन्हें नोटिस दिया जावे कि १५-२-५३ तक लेवी के बकाया गल्ले की अदायगी तारीख १७-१-५३ के गजट के अनुसार करे; वरना लाइसेन्स सस्पेन्ड कर दिये जावेंगे ।

५. बकाया गल्ला माफ करने का विचार नहीं है ।

६. प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में इसका भी उत्तर सम्मिलित है ।

श्री श्यामलाल—क्या गल्ला जमा कराने के लिए आखरी तारीख १५ फरवरी नियत की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—जी हां, १५ फरवरी नियत की गई थी ।

श्री श्यामलाल—क्या १५ फरवरी तक जमा नहीं हुआ तो जमा नहीं कराने वालों का गल्ला जब्त कर लिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस में क्या आदेश दिये जा चुके हैं कि जिन्होंने जमा नहीं कराया है उनका गल्ला जब्त कर लिया जाय । कई जगह तो आदेश पहुंच चुके हैं और कई जगह अब पहुंच रहे हैं ।

श्री श्यामलाल—इस तरह से कितना गल्ला जमा हुआ है?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—यह तो मैं आपको पूरा नहीं बता सकता ।

श्री गुरुदयाल सन्धु—क्या आप लेवी बन्द कर रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—हरगिज नहीं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७:

श्री भवानी सहाय शर्मा—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) तकावी की कितनी रकम सरकार द्वारा अलवर जिले के लिए मन्जूर की गई है और उसमें से कितनी वितरण हुई है ?

(ख) तकावी वितरण योजना किस प्रकार से अलवर में लागू की गई है ?

(ग) राजगढ और थानागाजी तहसील में प्रत्येक किसान को अधिक से अधिक कितनी और कम से कम कितनी रकम दी गई है ?

(घ) राजगढ तहसील में सबसे ज्यादा तकावी किसको दी है और थानागाजी तहसील में ज्यादा से ज्यादा किसको दी है ?

(ङ) थानागाजी में कम से कम रकम किसको दी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) ३३,७५० रुपया मंजूर किये गये जिसमें से २८,६५० रु० वितरण हुए । अकाल सहायतार्थ तकावी के लिए ७६,९३२ रुपये स्वीकार हुए जिसमें से ६५,०.. रुपये वितरण हुए ।

(ख) वितरण का कार्य तकावी नियमानुसार किया गया ।

(ग) तहसील थानागाजी में अकाल सहायतार्थ तकावी में से अधिक से अधिक रामसिंह को पंपिंग सेट के लिए ४०००) रुपये दिये गये । और साधारण तकावी में से अधिक से अधिक १०००) रुपये

[मोहनलाल सुखाड़िया]

दिये गये। कम से कम रकम १००) प्रति प्रार्थी दिये गये हैं। तहसील राजगढ म साधारण तकावी में से अधिक से अधिक १०००) रुपया व कम से कम २५० रुपया प्रति प्रार्थी दिये गये।

(घ) तहसील थानागाजी में साधारण तकावी म से अधिक से अधिक रकम श्री बुद्धासिंह को दी गई। और तहसील राजगढ में अधिक से अधिक तकावी की रकम श्री रामगोपाल को दी गई।

(ङ) तहसील थानागाजी में कम से कम तकावी लाडा पुत्र हीरा बलाई साकिन लालपुरा को दी गई।

श्री **भवानीसहाय**—यह जो वितरण करने से रुपया बच गया है वह किस कारण से बच गया है; या जिनको देना था उनको नहीं देने की वजह से बच गया है?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—वहां पर नहीं देने की वजह से बच गया है।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या उसको लेने वाला कोई नहीं था?

श्री **अध्यक्ष**—ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २७३

श्री **भैरूंसिंह**—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि जोधपुर डिविजन में जनता से खरंडा नाम की लाग वसूल की जाती है।

(ब) यदि हां, तो इस लाग के वसूल करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस लाग को बन्द करने का विचार कर रही है?

(स) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—(अ) सिवाय जैसलमेर और सिरोही जिलों के बाकी जोधपुर डिविजन के सब जिलों में यह लाग वसूल की जाती है।

(ब) यह लाग गांव के जन-हितकारी सम्बन्धी कार्यों में खर्च की जाती है। सरकार राजस्थान में लगने वाली सारी लागों पर विचार कर रही है, उसमें यह भी शामिल है। आमतौर पर सरकार की नीति नावाजिब लागों को बन्द करने की है।

एक सदस्य—यह लाग जागिरदारों सम्बन्धी किस कारण से है?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—या तो मेरे कहने में फर्क है या सुनने में फर्क है। जागीरदारी और जनहित-कारी दोनों का मिलाना ठीक नहीं है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—सोजत जैसे गांव में, जो म्युनिसिपेलिटी के मातहत है, भीखरंडा लाग लग रही है यह क्यों?

Page No.14

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७४

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री—क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) गत वर्ष गर्मी के मौसम में जयपुर म्युनिसिपल कौंसिल द्वारा कितनी प्याउएं लगाने की स्वीकृति दी गई थी ?

(२) क्या उनमें से गवर्नमेन्ट आॅर्डर और प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्याउओं पर नाली द्वारा पानी न पिलाने के लिए किसी को बाउन्ड किया गया है ?

(३) यदि हां, तो कितनों को ?

(४) यदि ना, तो ऐसा क्यों ?

(५) क्या भविष्य में इसका दृढ़तापूर्वक पालन किया जावेगा ?

श्री रामकरण जोशी—(१) ११ प्याउएं ।

२. गवर्नमेण्ट आर्डर प्राप्त होने के पश्चात तमाम प्याउओं के मालिकों को म्युनिसिपल कौंसिल की एक स्पेशल मीटिंग में बुलाकर आदेशानुसार समझा दिया गया था ।

३. तहरीर लेकर बाउन्ड नहीं किया गया, बातचीत द्वारा समझाया गया है । प्याऊ लगाने की इजाजत पहले दी जा चुकी थी ।

४. यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

५. अवश्य किया जावेगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोज रोज मीटिंग कॉल की गई थी, कौन कौन पधारे थे ?

श्री रामकरण जोशी—मैं नहीं गया था । मैं समझता हूं प्रश्नकर्त्ता खुद म्युनिसिपेलिटी के सदस्य हैं, इसलिए उनको मालूम है ।

एक सदस्य—उस रोज वहां क्या तय हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर । नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७५

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री—क्या नगर विकास विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या गंगापुर रेलवे स्टेशन के पास बसे हुए दलितवर्ग के लोगों के कच्चे-पक्के सारे मकान हटाकर वहां नये प्लॉट डीमार्केट किये जावेंगे ?

(२) यदि हां, तो क्या इतने घरों का सरकार मुआवजा देगी ?

(३) यदि नहीं, तो क्या ये बस्तियां टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम से एक्सक्ल्यूड कर दी जायेंगी और हरिजन जहां के तहां बसे हुए रहने दिये जायेंगे ?

श्री **रामकरण जोशी**--(१) नहीं।

(२) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) हाँ।

प्रश्न संख्या २७६

श्री **रामरतन टिक्कीवाल**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

टोंक-देवली रोड पर भरनी के नाले पर (जो वर्षा में कई दिन तक यातायात को बिल्कुल बन्द कर देता है और जिस पर पुल बनाने की स्वीकृति भी हो चुकी है, परन्तु अब तक नहीं बनाया गया है) इस वर्ष क्या पुल बनाया जावेगा ?

श्री **भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)**--यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। इसे संघानीय आर्थिक एकीकरण करारनामे की रकम द्वारा कराने के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है। इस कार्य का एस्टिमेट भारत सरकार की विधि अनुसार तैयार किया जा रहा है और अगर भारत सरकार की स्वीकृति ठीक समय पर प्राप्त हो गई तो यह कार्य आगामी वर्षा ऋतु के पूर्व चालू कर दिया जावेगा, नहीं तो इसे बाद में किया जावेगा।

श्री **रामरतन टिक्कीवाल**--वहां अधूरा काम हो रहा है; वैसे ही विना मन्जूरी के हुआ है क्या वह ?

श्री **भोलानाथ**--इसकी मेरे पास इत्तला नहीं है।

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २७७

श्री **श्यामलाल**--क्या सिविल सप्लाईज मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:--

(१) राजस्थान में खाद्यान्न की कीमतें तेज हुई या क्या ?

(२) अगर हां, तो क्या इस तेजी को रोकने के लिये कोई यत्न किये जा रहे हैं ?

(३) क्या कहीं फेयर प्राइस शॉप खोली है ?

(४) अगर नहीं, तो क्या अब खोलने का इरादा है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(१) हां, गेहूं के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(२) सारे कलेक्टरों को यह आदेश दे दिया गया है वे जहां कहीं अन्न के भावों में वृद्धि देखें सस्ते दाम के अनाज की सरकारी दुकाने खुलवादें। इसके अतिरिक्त अनाजों का यातायात खुला कर दिया है।

(३) राजस्थान के जिस भाग से अन्न की कमी की शिकायतें आई हैं वहीं दुकानें खुलवा दी गई हैं। उदाहरणार्थ उदयपुर जिला, चूरू जिला, गंगानगर के नोहर व भादरा के तहसील, भरतपुर जिले के धौलपुर व राजाखेडा आदि आदि।

(४) दुकानें खोल दी गई हैं और जहां आवश्यकता होगी और भी खोलने की हिदायतें कलेक्टरों के पास हैं।

श्री **श्यामलाल**—ये फेयर प्राइस शॉप कहां कहां खुली हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—यह अधिकार तो सारे कलेक्टरों को दे दिये हैं। जहां भी अनाज महंगा है वहां सब जगह खोल दी गई हैं।

श्री **श्यामलाल**—गेहू के प्राइस में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—ऐसा ही प्रश्न आगे पूछा गया है, उसके साथ ही इसका भी उत्तर देदूं तो अच्छा होगा।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २७८

श्री **श्यामलाल**—क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) बंध कालीसिल सब डिविजन करौली कब बनना शुरु हुआ था और उस समय उसका कितना एस्टीमेट था ?

(२) उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) उसे अधूरा एक दम क्यों बन्द कर दिया गया ?

(४) क्या मिट्टी वगैरह बहने से नुक्सान नहीं हुआ है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—

(१) कालीसिल बांध का काम फरवरी सन् १९५२ में आरम्भ हुआ था। इसका अनुमानित व्यय १६ लाख रुपया था।

(२) इनमें २,०२,२१९ रुपये कम हो चुके हैं।

(३) अर्थाभाव के कारण कार्य बन्द करना पड़ा।

(४) मिट्टी बहने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिये कोई हानि नहीं हुई है

श्री **श्यामलाल**—क्या इस बन्ध के बनाने का इरादा है और है तो कब तक ?

श्री **भोलानाथ**--इरादा है, तभी तो बनाने की बात कही गई है और काम भी शुरू हो जावेगा, इस अगले साल के बजट में रक्खा है ।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७६

श्री **श्यामलाल गोयल**—क्या राजस्व मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) तहसील नादोती, जिला सवाई माधोपुर, में जो जागीरों की जदीद चकबन्दी हुई है वहां शरह लगान पास के खालसाई इलाके से कितना अधिक है ?

(२) यह जदीद चकबन्दी कौन से सम्वत् तक के लिए हुई है और पहिले से हुई खालसाई इलाकों में चकबन्दी कब तक के लिए है ?

(३) यह बढोतरी किस आधार पर की गई है ?

(४) क्या खालसे की शरह लगान भी नई चकबन्दी होने तक बढ़ाई जावेगी ?

(५) क्या उसी तहसील में खालसे की जदीद चकबन्दी की शरह व जागीरों की शरह में फर्क रखा गया है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--(१) २५ प्रतिशत ।

(२) चकबन्दी जागीर व जदीद खालसे की सम्वत् २०२० तक के लिए मंजूर हुई है।

(३) बढ़ोतरी का मुख्य कारण जिनसों की बढ़ी हुई कीमत है ।

(४) नहीं । जब तक इस सैटिलमेन्ट की मियाद खतम नहीं होती नियमानुसार ऐसा नहीं हो सकता ।

(५) नहीं ।

श्री **श्यामलाल**—जब चकबन्दी खालसा और जागीर में कहीं २०२० तक की रक्खी गई है जो पुरानी थी तो क्या रेट्स बढ़ाने की जरूरत पेश आई ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--किस जगह के लिए आप कह रहे हैं ?

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार राजस्थान भर के लिये एक ही शरह नहीं लागू करती ?

श्री **अध्यक्ष**—आॅर्डर ! नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २८०

श्री **श्यामलाल गोयल**-- क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) ठिकाना धूला के जो ग्राम तहसील नादोती जिला सवाई माधोपुर में हैं और जिनमें मियाद चकबन्दी खतम होकर नई चकबन्दी अभी तक नहीं हुई है उसमें लगान पुरानी चकबन्दी की शरह से लिया है या बढ़ाकर।

(२) अगर बढ़ाकर लिया है तो क्या सरकार की स्वीकृति से लिया है ?

(३) अगर स्वीकृति दी है तो किस आधार पर ?

(४) क्या किन्हीं खालसे के ग्रामों के लिए भी ऐसी स्वीकृति दी गई है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--(१) लगान हमेशा चकबन्दी की मंजूर शुदा दरों पर वसूल किया जाता है। ठिकाने के जिन गावों में जदीद चकबन्दी हो चुकी है उनमें नई दरों पर वसूली होती है और जहां पुरानी चकबन्दी है वहां पुरानी दरों पर।

(२) नहीं।

(३) पैदा नहीं होता।

(४) नहीं।

श्री **श्यामलाल गोयल**--प्रश्न २ का आपने जवाब नहीं दिया। मुझे मालूम है वहां पर दरअसल २० प्रतिशत ज्यादा वसूल किया गया है, इसके लिए जानकारी हासिल की जाये।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--इसके बारे में वास्तविकता मालुम करने पर अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

श्री **अध्यक्ष**--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८१

श्री **कँवरलाल जेलिया**--क्या श्रम मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

कोटा डिविजन के श्रमिक लोगों के लिए कारखाने में दुर्घटना (मृत्यू या अपंग) हो जाने पर वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत श्रमिकों या उत्तराधिकारी को मुआवजा दिलाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री **रामकरण जोशी**--स्पेशल लेबर ऑफिसर राजस्थान को कोटा डिविजन के वर्कमेन कम्पेन्सेशन कमिश्नर के अधिकार हैं। उक्त अधिकारी इस एक्ट के मातहत श्रमिकों या उनके उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करते हैं।

Page No.19

श्री कँवरलाल जेलिया—गत वर्ष कितने मामले तय हो चुके हैं ?

श्री रामकरण जोशी–यह अलग सवाल है। मालूम करने पर ही ये आंकड़े बताये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८२

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister Incharge, P.W.D. kindly state:—

By what time the construction of the remaining portion of Sirohi Anadhra Road would be completed ?

श्री भोलानाथ—The Road can be completed only on availability of funds.

श्री जवानसिंह–प्रश्न यह है कि वहां पर सारा रास्ता ही रुक गया है; तो आपके कहने का यह मतलब लें कि वापिस जब तक अकाल नहीं पड़ेगा तब तक वह ऐसे ही पड़ी रहेगी ?

श्री भोलानाथ–फिलहाल तो अभी कोई योजना नहीं है; परन्तु सरकार के पास पैसे की व्यवस्था होने पर उस काम को हाथ में ले लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास–तो क्या यह काम पूरा करने के लिए सरकार वाकई अकाल की आशा लगाये बैठी है ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर ! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २८३

श्री श्यामलाल गोयल—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) गंगापुर जिला सवाई माधोपुर में गल्ले की गोदामों में कितना गल्ला है ?

(२) वह गल्ला किस किस किस्म का और किस किस साल का कितना कितना है ?

(३) क्या इस गोदाम में से गल्ला बाहर गया है ?

(४) अगर हां, तो कितना और कब कब ?

(५) क्या वह साफ होकर गया है; अगर हां, तो उसमें कितनी कमी हुई है ?

Page No.20

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(१) गंगापुर में इस समय ११,५०४ मन अनाज है।

(२) अनाज का विवरण इस प्रकार है :—

गेहूं	४१६० मन
जौ	६९१५ मन
चना	३४७ मन
बेजड़	१ मन
गोजरा	६६ मन
जवार	१५ मन
	११,५०४ मन

गंगापुर में जितना अनाज है वह सन् १९५२ का है।

(३) हां, इस गोदाम से गल्ला बाहर गया है।

(४) १८,००० मन गेहूं गंगापुर से अक्टूबर-नवम्बर में अम्बाला व अमृतसर भेजा गया। १०,००० मन गेहूं व जौ २,५०० मन धौलपुर सितम्बर व अक्टूबर में भेजा गया। ५,००० मन गेहूं बीज के लिये भरतपुर व धौलपुर को सितम्बर मास में भेजा गया।

(५) जिलाधीशों को यह आदेश है कि यदि गल्ला खराब हो तो उसे छान कर भेजा जावे। गंगापुर गोदाम पर छानने में कितनी कमी हुई इसकी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न संख्या २८४

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) महकमा नहर का जो पक्की ईटों का भट्टा पदमपुर में है उसमें इस समय कितनी ईटें शेष हैं ?

(२) इस साल कितनी ईटें किस हिसाब से और किसको बेची गई हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—कोई ईटों का भट्टा पदमपुर में नहीं है। इस साल कोई ईंट नहीं बेची गई।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—वहां पर जो करीब डेढ लाख ईटें पड़ी हैं वे किसकी हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—सरकार की हैं।

Page No.21

प्रश्न संख्या २८५

श्री **कंवरलाल जेलिया**—क्या श्रम मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्कमेन कम्पेनसेशन एक्ट के तहत कोटा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को क्या इस संबन्ध में वर्कमेन कम्पेन्सेशन कमिश्नर का अधिकार दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(२) कोटा डिवीजन के श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे अधिकार क्या राजस्थान सरकार देने का विचार रखती है ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत कोटा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को इस संबन्ध में कोई अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि उनके पास पहिले से ही काम अधिक होने से इस काम में सुविधा होने की संभावना नहीं है।

(२) सरकार यह विचार नहीं रखती; यह अधिकार स्पेशल लेबर ऑफिसर को दिये गये हैं।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—लेबर कमिश्नर, जिन्हें यह काम दिया, गया है क्या वे यह काम सम्हाल सकते हैं ?

श्री **रामकरण जोशी**—लेबर कमिश्नर को नहीं स्पेशल लेबर ऑफिसर को यह काम दिया गया है।

श्री **कंवरलाल जेलिया**—तो क्या वे काम सम्हाल सकते हैं ?

श्री **रामकरण जोशी**—उन्होंने तो सम्हाल ही रखा है।

प्रश्न संख्या २८६

श्री **मोहब्बतसिंह**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. सारणेश्वर जी पुस्तकालय, सिरोही, जिसका उद्घाटन दिनांक २३–५–४५ को हो गया था उसकी छत अभी तक क्यों नहीं बनी है ?

२. राजस्थान सरकार उसे कब तक बनवावेगी ?

श्री **भोलानाथ**—यह इमारत शिक्षा विभाग से संबन्ध रखती है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए रकम की कोई व्यवस्था नहीं की, इसलिये नहीं बनायी गई।

श्री **जवानसिंह**—कब तक यह व्यवस्था कर दी जावेगी ?

श्री **भोलानाथ**—यह शिक्षा विभाग से संबन्धित है।

Page No.22

श्री **जवानसिंह** —इस वक्त आप शिक्षा मंत्री के प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहे हैं ?

श्री **भोलानाथ**—चूंकि यह मेरे नाम मे भेजा गया था।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या आप शिक्षा मंत्री जी को सूचित करने की कृपा करेंगे कि यह काम हाथ में ले लें।

अध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर।

प्रश्न संख्या २८७

श्री **जवानसिंह**—क्या रसद मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

सिरोही कस्बे में राशनिंग नहीं होने हुए भी सरकार ने राशनिंग का इतना स्टाफ क्यों कायम कर रक्खा है ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—सिरोही में फरवरी १९५१ से स्टाफ हटा दिया गया था किन्तु यह कमीका क्षेत्र है इसलिए दूसरे अन्य स्थानों की भांति यहां पर सस्ता अनाज सरकारी अधिकृत दुकानों पर वितरण किया जाता है। जितना स्टाफ इस काम के लिए आवश्यक है उतना ही स्टाफ रखा गया है।

श्री **जवानसिंह**—वहां पर कितना स्टाफ है, आप बता सकते हैं ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—जितना कि हरेक जिले की आवश्यकतानुसार रखा जाता है।

श्री **जवानसिंह**—मेरा प्रश्न है, वहां पर अभी कितना स्टाफ है ?

श्री **भोगीलाल पंडया**-सिरोही में ऐसी कई दुकानें हैं जहां सब जगह उसके अनुकूल स्टाफ है। सब जगह चौकीदार हैं, जमादार हैं, आदि। सबकी जानकारी प्राप्त करने पर ही कहा जा सकता है कि कितना स्टाफ है, यह आपने नहीं पूछा था।

श्री **जवानसिंह**—मेरा प्रश्न साफ था। जरूरत से ज्यादा स्टाफ वहां क्यों कायम किया गया ?

श्री **भोगीलाल पंडया**-मैंने उत्तर दिया कि वहां जरूरत से ज्यादा स्टाफ नहीं है। आपने प्रश्न ही गलत तरीके से पूछा था। आपका प्रश्न इस प्रकार है कि सिरोही जिले में राशनिंग नहीं होने हुए भी सरकार ने राशनिंग का इतना स्टॉफ क्यों कायम कर रक्खा है ? इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि जहाँ पर अनाज वितरण किया जाता है और जितना स्टाफ उसके लिए आवश्यक है उतना ही स्टाफ रखा गया है।

श्री **जवानसिंह**—क्या आपने गलत प्रश्न का उत्तर दिया है ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—जैसा आपने चाहा है वैसा ही उत्तर दिया है।

Page No.23

प्रश्न संख्या २८८

श्री एच. के. व्यास—Will the Minister Incharge for Revenue be pleased to answer:—

(*a*) Is it a fact that rent rates for Bali and Desuri Tehsils have been evolved on the basis of 1/3 (for unirrigated) and 1/4 (for irrigated) share of the gross produce ?

(*b*) When were these rent rates sanctioned by the Government ?

(*c*) In view of the Law enacted by this house, wherein standard share as rent has been fixed as not more than 1/6 of gross produce, is the Government prepared to reconsider these rent rates ?

(*d*) On what grounds, was the share fixed as more that 1/6 of the gross produce ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अ) नहीं ।

(ब) जून १९५२ में तहसील देसूरी: अगस्त १९५२ में तहसील बाली में ।

(स) एक बटॉं छ के आधार पर, स्टेन्डर्ड रेट्स के आधार पर, तैयार की गई ।

(ड) पैदा नहीं होता ।

प्रश्न संख्या २८९

श्री लालूराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या टोंक शहर में नल लगाने के लिए ८,००,०००) रुपये की स्वीकृति दे दी गई थी ?

(२) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री भोलानाथ—भूतपूर्व टोंक सरकार ने पोस्टवार (Post-war) स्कीम के अन्तर्गत इस योजनाके लिए कुछ द्रव्य रखा था जो करीब ७ लाख रुपया था, जो टेलीफोन इलेक्ट्रिक वाटर वर्कस पर खर्च किया जाना था। पूरी योजना के बनने के बाद यह पता चला कि इस पर १४ लाख रुपया आसानी से खर्च हो सकता है; फिलहाल सरकार की यह नीति है कि इतना रुपया सरकार स्वयं वाटर वर्क्स के लिये खर्च न करे ।

प्रश्न संख्या २६०

श्री **जवानसिंह**—क्या रसद मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान सिविल सप्लाईज डिपार्टमेन्ट सर्क्युलर नं.एफ १९ (५८) सी.एस. (ए) ५१ की रूह से कितने मुकदमों का फैसला हुआ है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जिस परिपत्र का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उसके द्वारा जिले से संबन्धित सिविल सप्लाइज का काम डेप्युटी कमिश्नर से संबन्धित कलेक्टर को दिया गया है। इस प्रकार से यह सर्क्युलर, विभाग की आन्तरिक व्यवस्था से संबन्ध रखता है; नकि मुकदमों से। इसलिये यह प्रश्न सर्वथा असंगत है।

श्री **जवानसिंह**—मैंने प्रश्न किया है कि किस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मुकदमें डेप्युटी कमिश्नर तय करेंगे। उसके बाद में कितने मुकदमें डेप्युटी कमिश्नर ने तय किये ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—इसमें जिला कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है। केसेज लिये जाते हैं और जिलाधीश ही इसका निर्णय करते हैं।

श्री **जवानसिंह**—कितने मुकदमें तय किये यह आप बता सकते हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—यह प्रश्न आप होम मिनिस्टर से या रेवेन्यु मिनिस्टर से पूछते तो वे आपको बता सकते। मगर आप फिर कभी प्रश्न करेंगे तो आपको बताया जा सकता है।

प्रश्न संख्या २६१

श्री **तनसिंह**—क्या अकाल सहायता विभाग मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील शिव में अकाल घोषित करने के बाद सरकारी सहायता के रूप में अबतक क्या और कितना कार्य किया गया है ?

(२) बाढ़मेर तहसील में कितना और क्या कार्य किया गया है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—बाढ़मेर जिले में तहसील शिव और बाढ़मेर के लिये कुल सैंतालीस हजार रुपया अकाल के लिये मन्जूर किया गया था जिसमें से २७ हजार रुपया राहत कार्य के लिये, ७ हजार रुपया वाटर सप्लाई के लिए, ३ हजार रुपया ग्रेच्युटस रिलीफ के लिये और दस हजार रुपया तकावी के लिये था।

काम उन्नति पर है जिसके लिये १३ हजार रुपयों का इन्टेरिम अलॉटमेन्ट हुआ है।

Page No.25

प्रश्न संख्या २६२

श्री मुक्तिलाल मोदी--क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

१. जयपुर शहर की दस मील की परिधि में १९५२-५३ में कितनी जमीन अलॉट की गई है ?

२. उस जमीन के लिए कितना कर्ज तकाबी के रूप म दिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-(१) सातसो साढ़े बत्तीस एकड़।

(२) १० हजार रुपये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वह जमीन किन किन को दी गई, क्या यह आप बता सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--इसकी फहरिश्त सदन की मेज पर रख दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या यह सही है कि जमीन मंत्रियों और एम.एल.एज़ के रिश्तेदारों के लिये रिजंव रक्खी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-नहीं।

प्रश्न सख्या २६३

श्री लालूराम-क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान सरकार ने दो सड़कें टोंक से उनियारा माधोपुर तथा टोंक से मालपुरा टोडा तक निर्माण करने की योजना बनाई थी, लेकिन अभी तक न तो सड़कें बनवाई हैं और न रकम स्वीकृत की गई है; इसका क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ-इन दोनों सड़कों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन अवश्य है किन्तु यह कार्य द्रव्य उपलब्ध होते ही शीघ्र शुरू कर दिया जायगा।

प्रश्न संख्या २६४

श्री जवानसिंह --क्या रसद मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सिविल सप्लाइज के स्टॉकों की कितनी चोरियां हुई और उनसे कितना नुकसान हुआ ?

(ख) क्या उन मामलों की अन्तिम रिपोर्ट सरकार सदन की मेज पर रखने को तैयार है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**–राजस्थान निर्माण के बाद से सिरोही जिले में अनाज की कोई चोरी नहीं हुई। दिसम्बर १९५१ में सिरोही रोड स्टेशन पर अनाज पड़ा हुआ था, उस समय एक बोरी अनाज चोरी गया। प्रत्यक्षतः इसकी जिम्मेवारी रेलवे पुलिस पर थी। रेलवे पुलिस ने इस मुकदमे को रजिस्टर कर लिया लेकिन चोरी करने वाले का पता न चल सका। चोरी हुए अनाज का मूल्य चौकीदार से वसूल कर लिया गया।

श्री **जवानसिंह**—क्या एरनपुरा रोड पर चोरी नहीं हुई ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—मुझे मालूम नहीं।

प्रश्न संख्या २६५

श्री **भैरूंसिंह (डि. नं. ११)**–क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) जवाई बांध पर मेकेनिकल स्टाफ के कितने आदमी कमी किये गये हैं ?

(ब) जो आदमी कम किये गये हैं उनमें परमानेन्ट कितने हैं और टेम्परेरी कितने हैं ?

(स) इन आदमियों की कमी करने के बाद परमानेन्ट व टेम्परेरी कितने आदमी रक्खे गये हैं ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)**—(अ) जवाई बांध पर मेकेनिकल स्टाफ में से २५ आदमी कमी किये गये थे।

(ब) टेम्परेरी जवाई प्रोजेक्ट डिविजन मेकेनिकल युनिट का यह एक भाग था।

(स) इन आदमियों को कम करने के बाद कोई नये आदमी परमानेन्ट अथवा टेम्परेरी नहीं रखे गये।

प्रश्न संख्या २६६

श्री **रामरतन टिक्कीवाल**–क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(क) टोंक जिले में जितनी भी तकाबी दी गई है उसका जिस कार्य के लिये तकावी स्वीकृत हुई है उसी के लिये उपयोग भी हुआ है अथवा नहीं ?

(ख) क्या तकावी देने के पश्चात् उसको खर्च करने की जांच की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)**--(क) हां।

(ख) है।

Page No.27

प्रश्न संख्या २६७

(प्रश्न संख्या २६७ श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा के अनुपस्थित होने के कारण नहीं पूछा गया)

प्रश्न संख्या २६८

श्री **नारायणलाल**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर से रतनगढ़ तक क्या सड़क बनाई जावेगी ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) अगर हां, तो कब तक यह कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—जयपुर से रतनगढ़ तक सड़क बनाने की योजना अवश्य है जिसमें से जयपुर से चोमू तक का काम जारी है, और ज्यों ज्यों द्रव्य की व्यवस्था होती जायगी, यह काम आगे बढ़ता चला जायगा ।

श्री **अध्यक्ष**—जयपुर से रतनगढ़ तक सड़क ?

श्री **भोलानाथ (निर्माण मंत्री)**—जयपुर से सीकर रतनगढ़ एक ही सड़क है। चौमू की तरफ तो काम चल रहा है । चौमू से रींगस और रींगस से सीकर का काम भी चल जायगा यदि फंड की व्यवस्था हो जायगी ।

प्रश्न संख्या २६९

राजा श्री **मानसिंह**—Will the Minister for Irrigation be pleased to State.—

(a) What grant the Central Government has made to the Rajasthan Government for Minor Irrigation Works recently, apart from the grant in the Five year Plan ?

(b) How much of this amount do the Government propose to allot to Bharatpur District ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)**—(अ) भारत सरकार ने लघु सिंचाई के लिए ३० लाख रुपये का ऋण दिया है ।

(ब) ४,९२,०००) रु० भरतपुर के लिए रखे गये हैं ।

राजा श्री मानसिंह—I also understood that the Central Government have made a grant of Rs. 1,75,00,000 in addition to this sum. Is that in the knowledge of the Minister ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–जी हां। मैं तो जो कार्यवाही हुई थी उसमें शरीक था। ऐसी मांग भी आई थी और मुझे अच्छी तरह से मालुम है और माननीय सदस्य को भी मालुम है कि एक प्रश्नावली पूछी गई है कि यह १ करोड़ पचहत्तर लाख रुपये मिलने वाले हैं तो आप मालुम करें कि जिले में कहां कितना सिंचाई का काम आवश्यक है। उनका जवाब आयेगा तो आपसे मिल कर काम करेंगे।

राजा श्री मानसिंह–Has the Government got any plan to suspend, the money in Bharatpur District.

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–जी हां, अभी आपको बताया कि ३० लाख रुपयों में से ४,९२,०००) रु० भरतपुर में खर्च करेंगे, और १,७५,००,०००) रु० की जो योजना बनेगी उसमें भरतपुर को भी मिलेगा। भरतपुर थोड़े ही छूट जायगा।

राजा श्री मानसिंह––Will the Government place on the table of the House a list of the works intended to be done?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–अभी तो उसके लिए आपसे योजना मंगाई गई है। मेरे पास लिस्ट नहीं है। आपकी योजनाओं पर लिस्ट बनाई जायगी, आप से सम्मति ली जायगी। टेबल पर ही नहीं रखी जायगी आपके सामने भी रखी जायगी।

प्रश्न संख्या ३००

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

हरी के बांध से राजस्थान को कितना पानी किस इलाके के लिये और कब तक मिलेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–हरी का बांध पंजाब सरकार बना रही है। अभी यह कोई निश्चय नहीं हुआ है कि इस बांध से कितना पानी किस को और कब मिलेगा।

(प्रश्न संख्या ३०१ तथा ३०२ प्रश्न कर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण नहीं पूछे गये)।

प्रश्न संख्या ३०३

श्री नारायणलाल–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की

१. सीकर जिले के कौन कौन से कस्बों में बिजली लगाने तथा सड़क बनाने की योजना है ?

२. यदि है, तो कब तक प्रारम्भ हो जायगी ?

३. यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.29

श्री भोलानाथ निर्माण मंत्री—सड़क—केन्द्रिय सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के तय होने के बाद यह पता चल सकेगा।

बिजली—रामगढ़ में बिजली चालू हो चुकी है और लक्ष्मणगढ़, फतेगढ़ तक बढ़ाने की योजना विचाराधीन है।

सीकर में बिजली पहिले से ही मौजूद है।

प्रश्न संख्या ३०४

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या जयपुर में लाल कोठी एरिया के पास जहां दो—ढ़ाई हजार घरों की बस्ती है, उनके पानी के लिये बस्ती से काफी दूर एक ही नल है ?

२. क्या उक्त बस्ती में २ नल लगाये जाने का तखमीना पानी विभाग द्वारा बनाया गया है

३. यदि नहीं, तो क्यों ?

४. यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

५. क्या गर्मी के मौसम के पहले पहले ये नल लगा दिये जायगे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—१. हां एक ही नल है जिसको हटा कर इस लोकेलिटि के नजदीक लगाने के लिए कार्यवाही हुई है।

२. बनाया गया है।

३. प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

४. म्युनिसिपल कोष में कमी के कारण एस्टीमेट पेंडिग रखे हुए हैं।

५. म्युनिसिपल कोष की व्यवस्था ठीक होने पर ही यह लगा दिये जावेंगे।

प्रश्न संख्या ३०५

श्री लालूराम—क्या दलित वर्ग उत्थान मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) पिछले वर्ष जिन छात्रों ने स्कॉलरशिप मिलने के लिये फार्म भर दिये थे उनमें से कितनों को स्कॉलरशिप मिली है और कितनों को नहीं मिली ?

(ख) जिनको नहीं मिली है उसका क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)—गत वर्ष यानि सन् १९५१-५२ में छात्र-वृत्तियों के लिये कुल १८३० प्रार्थना पत्र बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग में प्राप्त हुए थे जिसमें से १०१४ प्रार्थनापत्र निश्चित अवधि में आये थे जो कि नियमानुकूल स्वीकृत किये गये। शेष ८१६ निम्नलिखित कारणों से स्वीकृत नहीं किये जा सके :—

(१) ६७६ निश्चित अवधिके बाद में प्राप्त हुए।
(२) ३६ प्रार्थना-पत्र नियमानुकूल भरे हुए नहीं थे।
(३) १०४ प्रार्थना-पत्र, उन पिछड़ी हुई जातियों के थे जिन्हें सरकार ने पिछड़ी हुई जातियों की सूचि में नहीं लिया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या छात्रवृत्ति देने के लिये कोई कमेटी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—(बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री) जी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—छात्रवृत्ति का निर्णय कौन करता है?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)—डाइरेक्टर ऑफ बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग।

प्रश्न संख्या ३०६

श्री लालूराम—क्या दलित वर्ग उत्थान मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

१. क्या सरकार के पास हरिजन बस्तियों में बिजली, नल व सड़कें, बनवाने की कोई योजना है?

२. यदि है, तो जिला टोंक की हरिजन बस्तियों में कब तक सड़कें व नल और बिजली लगा दी जावेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री तेजपाल—भरतपुर में क्यों नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष—नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३०७

राजा श्री मानसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(*a*) Whether the Government have acceeded to some of the demands of the refugee kisans of Alwar and Bharatpur Districts in their agitation against enhancement of land revenue?

(*b*) Is any judicial enquiry being held in respect of the lathi charge made on them in this connection?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—

(a) No.

(b) No.

राजा श्री मानसिंह—Was any agitation made by Kisans ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इस संबन्ध में वैसे ही काफी चर्चा चल चुकी और किसानों की तरफ से कोई एजीटेशन हुआ हो ऐसी बात नोट करने का सवाल नहीं आया है।

राजा श्री मानसिंह—The question is, did any agitation in Alwar take place?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—No.

श्री एच० के० व्यास—Was any representation received on behalf of th Kisans by the Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Yes. We received representations from the refugees who are there.

श्री एच० के० व्यास—What action did the Government take on that ree presentation ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have already replied to this in part (a).

श्री एच० के० व्यास—Is it a fact that an assurance was given to those refugees- that they will be given land on the normal revenue and not any extra charges.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—No.

श्री एच० के० व्यास—Was any letter brought to the notice of the Minist er concerned by the Kisans who came in deputation to see the Minister ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—No authoritative letter was brought to the notice of the Government.

श्री एच० के० व्यास—Did they bring to the notice of the Minister concerned letter purporting to be such assurance ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have already said that no authoritative letter was brought to the notice of the Government, and as for as I am aware, I do not think any letter was given.

श्री एच० के० व्यास—I asked whether a letter purporting to be such assurance was shown to the Minister.

Page No.32

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-I have given a reply to this.

श्री एच. के. व्यास—No, No. He said no authoritative letter was shown to him. I am asking whether a letter purporting to be the authoritative letter was not shown to him.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया-Some pamphlets and some letters were shown to me.

श्री एच० के० व्यास—Has not the Government taken any action to enquire if such letters were authentic ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—We were ourselves convinced that they were not authentic.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ३०८

राजा श्री मानसिंह—Will the Revenue Minister be plesaed to state:—

(a) Whether he is aware of the recent heavy damage caused to crops by hail in Deeg and Kumher Tehsils in Bharatpur Districts ?

(b) Does the Government intend to give any relief to the cultivators of the villages effected ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—

(अ) हां, भरतपुर जिले के अन्दर कुछ ओले गिरे थे।

(ब) लेकिन इनके फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और इस तरह रिलीफ का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है।

प्रश्न संख्या ३०९

श्री नारायण लाल-क्या दलित वर्ग उत्थान मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. सीकर जिले में कितने हरिजनों के लिये पानी पीने के हेतु नये कुए बनवाये गये तथा बेकवर्ड विभाग से क्या विशेष सहायता दी गई ?

२.यदि नहीं तो, क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर मंत्री)-- १. सीकर जिले में हरिजनों के पीने के लिये कोई नये कुए नहीं बनवाये गये और न बेकवर्ड क्लासेज विभाग से विशेष सहायता दिलाई गई।

Page No.33

[श्री भोगीलाल पंड्या]

२. इसका कारण यह है कि ऐसी सहायता के संबंध में कई दरख्वास्तें पेश हुई थीं जिनकी जांच तहसील के द्वारा की जा रही है। नतीजा मालुम होने पर वास्तव में पीने के पानी के लिए जहां नये कुए बनवाने या पुराने कूओं की मरम्मत के लिए सहायता की आवश्यकता होगी तो उनके लिये उचित कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न संख्या ३०

श्री राजा मानसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state:—

(*a*) Whether he is aware of the damage caused to crops in Bharatpur District by stray cattle, due to the the Hariya Cattle Act of Bharatpur not being enforced ?

(*b*) Does the Government intend to enforce this Act in future ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(*a*) Yes, it is true that damage is done to agricultural crops by the stray cattle in Bharatpur District and particularly round about Bharatpur city due to non-enforcement of the Cattle damage prevention Act 1944 of former Bharatpur Government.

(*b*) Now this question has again been taken up in consultation with the Municipal authorities and suitable measures are being taken to check this menace. Two cattle pounds have been started at Bharatpur. A census of all city cattle will shortly be undertaken. That will facilitate effective check up.

प्रश्न संख्या १११

श्री सज्जन सिंह—Will the Minister for Revenue kindly state :—

How much area has been brought under cultivation as a result of the "Grow More Food" compaign in Khalsa area and how much more yield of food is expected?

Also what specific measures have been adopted with this end in view—which of them are mechanized ones?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—The following are the Division-wise figures of additional area of land brought under cultivation as a result of the "Grow More Food" compaign :—

Division.	*Area brought under plough.*	*Yield in tons.*
1. Jodhpur ..	10,867 acres.	550 tons in 1950-51. Much yield not expected in 1951-52 and 1952-53 due to scarcity conditions.
2. Udaipur ..	22,584 acres.	60,000. Extra yield expected.

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

Figures from other Divisions are still awaited and would be placed on the Table of the House in due course.

With a view to bring the above land under cultivation Taccavi loans have been given for purchase of agricultural implements, bullocks, sinking of wells, purchase of seeds and mechanised equipment etc.

प्रश्न संख्या ३१२

श्री लालूराम--क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान सरकार ने इस वर्ष तकावी के रूप में किसानों की सहायतार्थ कितनी रकम मंजूर की ?

(२) इस मंजूरशुदा रकम में से कितनी रकम हरिजन किसानों को दी गई है ?

(३) जिला टोंक के कितने हरिजनों को तकावी मिली है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--८ लाख राजस्व विभाग द्वारा, ८ लाख अकाल सहायता से तथा २ लाख कृषि विभाग से; इस प्रकार कुल १८ लाख सहायतार्थ दिये गये।

(२) इस विषय में आंकड़े तैयार नहीं है। रिपोर्ट हरएक तहसील से जातिवार मंगाई गई है; अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(३) ११६०, रुपये की तकावी दी गई।

प्रश्न संख्या ३१३

राजा श्री मानसिंह--Will the Revenue Minister be pleased to state :—

Whether the Government intend to bring in an amendment to the Jagir Resumption Act of 1952, with a view to helping the Jagirdars?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--No.

राजा श्री मानसिंह--Is it a fact that some negotiations are going on between the Jagirdars and the Government and the Government is prepared to give better terms than in the Act to the Jagirdars ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--I think we are not here to discuss about negotiations. You had put a specific question and I have replied to it.

Page No.35

श्री **एच. के. व्यास**—Is it a fact that the States Ministry is intending to call a representative meeting of the Jagirdars and the Rajasthan Government to consider this question?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—This is an information that I am getting from the Hon'ble Member.

(श्री हरिकृष्ण व्यास पुनः बोलने को खड़े हुए)

श्री **अध्यक्ष**—Order.

प्रश्न संख्या ३१४

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या राजस्व मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) मु० नं० ३० चक १५ ई.ई.ए. को लेने के लिये कितने आदमियों की दरख्वास्तें थी ?

(२) जांच कमेटी ने किस किस को देने के लिये सिफारिश की और किसको दिया गया ?

(३) जिसको दिया गया उसके दादा के नाम कितनी जमीन है ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**—चक नं० १५ ई.ई.ए.के मुरब्बा नं० ३० के लिए दो व्यक्तियों ने दरख्वास्तें पेश की थीं, जिनके नाम श्री नेतन और श्री देवासिंह हैं। एडवाइजरी कमेटी ने श्री नेतन को अलॉटमेन्ट के लिए हकदार (eligible) नहीं समझा और इसलिए ये मुरब्बा (१५ बीघा बारानी १० बीघा नहरी) श्री देवासिंह के नाम कमेटी की सिफारिश पर अलॉट किया गया। श्री देवासिंह के दादा श्री शेरसिंह के नाम ४० बीघा भूमि है, मगर जिला-अध्यक्ष की रिपोर्ट से यह पाया जाता है कि वह अपने दादा से अलग रहता है।

श्री **मानसिंह**—देवासिंह के बाप के नाम कितनी जमीन थी ?

प्रश्न संख्या ३१५

श्री **मोतीराम**—क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलायेंगे:—

(क) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि केनाल कोलोनी गंगानगर की खेती वाली भूमि कुछ समय पूर्व लोगों ने जो अत्यधिक कीमत देकर सरकार से खरीद की है उनकी वह अभी तक खरीदार भूमि द्वारा पूरी नहीं ले पायी है।

(ख) इस भूमि पर आबयाना के अलावा हकूक २॥।) रुपया फी बीघा तक "हुई नुई" के नाम में लगता है जो राजस्थान के किसी भी दूसरे भाग में नहीं लगता; ऐसी परिस्थिति में खेती बाड़ी पर लगाने वाले टैक्स से नहरी इलाका गंगानगर को क्या मुक्त करने की कृपा की जावेगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (अ) हां। कई खरीदारों ने अभी पूरी कीमत अदा नहीं की और उनके जिम्मे अभी किश्तें बाकी हैं।

[मोहनलाल सुखाड़िया]

(ब) सन् १९४५-४६ की सेटलमेन्ट के समय लगान और खुश हैसियती (water advantage rate) को मिला दिया गया था और यह सिर्फ पुख्ता रकबे पर कायम होता है। लगान की इस दर से किसानों को फायदा है क्योंकि उनसे सिर्फ उसी भूमि के लिये यह लगान वसूल होता है जिसमें पूरी पैदावार हुई हो। ऐसी सूरत में लगान की इस दर को घटाने की कोई योजना सरकार के समक्ष नहीं है।

श्री **मोतीराम**—इसके अलावा ३ रुपये, २॥।) रुपये व ३॥) रुपये लिये जाते हैं; समझ में नहीं आता कि यह फिर किसका टैक्स लिया जाता है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं समझता हूं कि आपका मूल प्रश्न दूसरा है, वह इन्कमटैक्स के बारे में है।

प्रश्न संख्या ३१६

श्री **हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री**—क्या श्रम मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा कितने लोगों को विभिन्न नौकरियों के लिए रजिस्टर किया गया और कितने लोगों को काम दिलाया गया ?

(२) इस वर्ष एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा Scheduled Castes के कितने व्यक्ति रजिस्टर किये गये और उनमें से कितने लोगों को नौकरियां मिलीं ?

(३) यदि नौकरियां मिलीं तो किस किस पद की ; क्लर्क, चपरासी, साईकिल सवार या चौकीदार की; भिन्न भिन्न बतलावें ?

(४) Scheduled Castes को उनके लिये नियत १२॥ प्रतिशत व १५ प्रतिशत कोटे के अनुसार नौकरियां दिलाने के लिये अब भविष्य में क्या कोई ठोस कदम उठाया जायेगा ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) इस वर्ष एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा २००९४ लोगों के नाम रजिस्टर हुए हैं व ३४१४ लोगों को नौकरियां दिलादी गई हैं।

(२) इस वर्ष एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा ६७५ परिगणित जातियों के लोगों के नाम रजिस्टर किये गये व २०६ को नौकरियां दी गई।

(३) लगभग सबको सरकारी क्लास ४ की ही नौकरीयां दी गई हैं।

(४) यदि सरकार भविष्य में ऐसी आवश्यकता देखेगी तो उचित कार्यवाही करेगी।

एक सदस्य—क्या ये सब के सब हरिजन हैं ?

एक सदस्य—हरिजनों को नौकरीयें देने के लिये कोई हुक्म निकाला गया है या नहीं ?

श्री **रामकरण जोशी**—ऐसा हुक्म निकल चुका है।

एक सदस्य—६२५ में से कितने हरिजन हैं जिनको नौकरियें दी गई ?

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१७

श्री **कंवरलाल जेलिया**—क्या श्रम मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) श्रम व्यवस्था के आधार पर कोटा डिविजन, जयपुर डिविजन के श्रम अधिकारी के सुपुर्द होने से क्या इतने बड़े दो डिविजन का कार्य इस श्रम संबंधी व्यवस्था से अब तक संतोषजनक चल रहा है ?

(२) कोटा डिविजन श्रमिक क्षेत्र होते हुए भी वहां लेबर ऑफिस न होना सरकार समुचित समझती है ?

(३) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाने वाला है ?

श्री **रामकरण जोशी**—(१) हां, अभी तक तो संतोषजनक ही चल रहा है।

(२) कोटा डिविजन में भी लेबर ऑफिसर नियुक्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री **कंवरलाल**— कब तक उम्मेद की जा सकती है ?

श्री **रामकरण जोशी**—नये साल में।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ३१८

श्री **मोतीराम**— क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

लालगढ़ गांव, तहसील गंगानगर, में "धड़त मापा" नाम की लाग को जो अभी तक जारी है बन्द करने की कृपा करेगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—सरकार सब लाग-बागों के विषय में सूचना एकत्रित कर रही है। जो नाजयज होगी वे बन्द कर दी जावेंगी। इस विषय में जल्दी ही फैसला करने की सरकार की इच्छा है।

एक सदस्य—"धड़त मापा" क्या चीज है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—यह एक लाग है।

प्रश्न संख्या ३१९

श्री **मोतीराम**—क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(१) गंगानगर जिले में आराजी के इन्तकाल, रहन और विरासत के कितने मुकदमात जेर-तजबीज हैं ?

(२) उनमें से कितने मुकदमात एक साल से पुराने हैं ?

Page No.38

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—इसके बारे में सूचनाएं प्राप्त की जा रही हैं। सूचनाएं प्राप्त होने पर हाउस की टेबल पर रखदी जावेंगी।

बाद में प्राप्त हुई सूचना निम्न प्रकार है:—

(१) ७३३ तथा

(२) ९२)

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—इसके लिये क्या कोई कानून बने हुए हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—हां, इसके लिये कानून बने हुए हैं।

श्री **मोतीलाल**—क्या इस पर अमल किया जाता है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—कानून के माफिक अमल होता रहेगा।

प्रश्न संख्या ३२०

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

भाखड़ा नहर, जिला गंगानगर से कितने और कौनसे रकबे को और कब तक पानी मिलेगा ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—(अ) भाखड़ा नहर से ९ लाख २० हजार एकड़ भूमि में सिंचाई होगी।

(ब) इस रकबे में गंगानगर, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा व सूरतगढ़ तहसीलें आती हैं।

(स) इस नहर से सन् १९५४ में फसल खरीफ को पानी मिलना शुरू हो जायगा।

एक सदस्य—क्या इस प्रकार का प्रबन्ध कोटा नगर जिले में भी सरकार (पानी देने का) प्रबन्ध करेगी।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट.

प्रश्न संख्या ३२१

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर को कितना पानी मिल रहा है ?

(ख) क्या राजस्थान सरकार गंगानगर में आबाद हुए लोगों से बीकानेर सरकार द्वारा किये गये वायदे के मुताबिक ७० फी सदी पानी सिंचाई के लिये पूरा करेगी ?

(ग) अगर करेगी तो कब तक; अगर नहीं तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या–(क) बीकानेर नहर का एक डिस्चार्ज २७२० क्यूसेक्स तक है। समझौते के अनुसार फसल रबी में (नदी) के पानी का २१ प्रतिशत पानी मिलता है और फसल खरीफ में १० प्रतिशत मिलता है।

(ख) राजस्थान सरकार गंगानगर की आबादी को ६० प्रतिशत पानी सिंचाई के लिये जब से नहर आई है दे रही है।

७० प्रतिशत पानी का कभी वायदा किया जाना नहीं पाया जाता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार को यह मालूम है कि बीकानेर की शर्तों में ७० प्रतिशत पानी देने का लिखा हुआ है?

श्री भोगीलाल पंड्या–इसकी जांच कराई गई तो मालूम हुआ कि ६० प्रतिशत है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–यदि आपके सामने शर्तनामा पेश किया जावे तो क्या सरकार उसके अनुसार पानी देगी?

श्री भोगीलाल पंड्या–यदि जैसा आप कहते हैं शर्तनामा है और पेश करेंगे तो इसके लिये बेशक प्रयत्न किया जाएगा?

प्रश्न संख्या ३२२

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या कृषि मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

जिला गंगानगर में सरकार ने कृषिखाद तकसीम करने, अच्छे बीज किसानों को देने, और फार्म यार्ड मेन्योर तैयार करने में क्या प्रयत्न किये हैं; विवरण सहित बताया जावे?

श्री मोहनलाल सुखाडिया–जिला गंगानगर के लिये उपयुक्त बीज वितरण करने व रसद विभाग द्वारा बीज आयोजित करने का प्रयास किया गया। खेती की उन्नति के लिये एमोनियम सल्फेट व सुपरफोस्फेट कृषकों को प्रदान किये गये। इसके अलावा कम्पोस्ट तैयार करा कर के कृषकों को वितरण किया गया, जो निम्न प्रकार है:–

गेहूं, सी.५९१–जिला अधिकारी कृषि विभाग गंगानगर द्वारा–९५० मन।
चने–जिला अधिकारी गंगानगर द्वारा–४०,००० मन।
एमोनियम सल्फेट–जिला अधिकारी कृषि विभाग, गंगानगर द्वारा–८० टन।

सुपरफोस्फेट	२ टन।
कम्पोस्ट	१७१ टन।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार ने गंगानगर जिले के लिये ८० टन एमोनियम सल्फट काफी समझा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सरकार इस मिकदार को कम समझती है परन्तु इस साल जितना चाहिये उतना देगी ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार आयन्दा जरूरत के माफिक एमोनियम सल्फेट देने का प्रयत्न करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जरूर ।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

प्रश्न संख्या ३

राजा श्री मानसिंह—On a point of information, Sir, what questions are we taking now?

श्री अध्यक्ष—Short Notice question.

श्री हनवन्तसिंह (डि० नं० ५)—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि:—

१-जैसलमेर में कोरीडोर एरिया में अनाज वितरण की क्या व्यवस्था है ?

२—क्या यह सत्य है कि इस एरिया में थोकबन्द धान व्यापारियों को बेचने के लिये नहीं दिया जाता है ? अगर ऐसा है तो क्यों ?

३—क्या यह सत्य है कि जो कोई आदमी अनाज लेने दुकान पर जाता है उसे १० सेर अनाज से ज्यादा नहीं दिया जाता है चाहे उसके घर में कितने ही आदमी क्यों न हों ? अगर यह सत्य है तो क्या सरकार वहां के रहने वालों की तकलीफों को महसूस करती है ? अगर हां, तो उसे दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

४—क्या सरकार वितरण कमेटियां बनाकर उपरोक्त मांग की इस धान की समस्या को दूर करने की कोशिश करेगी ?

५—क्या यह सत्य है कि कोरीडोर क्षेत्र के बाहर भी व्यापारियों पर यह पाबन्दी लगाई गई है कि वे एक आदमी को १० सेर से अधिक अनाज न देवें ?

श्री भोगीलाल पंड्या १—कोरीडोर ऐरिया के लिये प्रति व्यापारी को ५० मन तक अनाज ले जाने के परमिट दिये जाते हैं, जिसे वे खुले बाजार में बगैर किसी मात्रिक प्रतिबन्ध के बेच सकते हैं। सरकारी अनाज की दुकानें खोलने की कोई विषेश व्यवस्था कोरीडोर एरिया के लिये नहीं है । जिस प्रकार अन्य स्थानों के लिये एजेन्ट नियुक्त होते हैं उसी प्रकार वहां के लिये भी किये जाते हैं ।

२—यह सत्य नहीं है कि थोकबन्द व्यापारियों को बेचने के लिये धान नहीं दिया जाता है । थोक और खुरदा दोनों प्रकार के व्यापारियों को ५० मन तक अनाज दिया जाता है ।

३—सही बात यह है कि प्रत्येक आदमी को अपने निजी व्यय के लिये १० सेर से ऊपर बिना रमिट के अनाज ले जाने की आज्ञा नहीं है ।

(श्री भोगीलाल पंड्या)

४—जैसा कि उत्तर नं० ३ से प्रगट है कि बोर्डर क्षेत्र में धान की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है। इसके अतिरिक्त इस समय केवल जिला वितरण समिति ही कार्य कर रही है और तहसील वितरण निष्क्रिय है।

५—न कोरीडोर क्षेत्र के बाहर और न भीतर ही इस प्रकार का प्रतिबन्ध है कि एक आदमी को १० सेर ही अनाज दिया जाय।

इस जिले के कोरीडोर एरिया में पिछले दो माह में २६,००० जन संख्या के लिये १०,००० मन से अधिक अनाज भिजवाया गया है।

श्री **हणवन्तसिंह**—जो यह बताया गया है कि ५० मन से ज्यादा अनाज व्यापारी को नहीं दिया जाता तो क्या यह ५० मन अनाज काफी है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—एक नहीं, जितने भी आदमी खुर्दा और थोक व्यापारी हैं, सब को पचास पचास मन फी व्यापारी के हिसाब से दिया जा सकता है। सब को लाइसेन्स दिया जाता है। ५० मन अनाज ले जाने वाले हजारों व्यापारी हो सकते हैं।

प्रश्न संख्या ४

श्री **एच. के. व्यास**—Will the Minister-in-Charge for Revenue be pleased to answer :—

(*a*) Is the Government aware that there is a serious famine in many parts of Rajasthan and that it is severest in Churu District?

(*b*) What steps has the Government taken to alleviate the distress of the masses?

(*c*) What is the amount sanctioned and sent for relief work?

(*d*) Has the Government decided to undertake some road building programme in the District? If so what? And in what priorities ?

(*e*) What is the recommendations of the Collector of Churu on this question?

(*f*) What orders has the Government passed on it?

(*g*) Is it a fact that the Government has dropped the proposal of starting with the Taranagar Nohar Road?

(*h*) Has work on these Roads started?

(*i*) If yes, from what date?

(*j*) How many workers are employed on each?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Government is aware of scarcity conditions prevalent in some parts of Rajasthan. The areas affected by failure of rains have been declared scarcity areas. The scarcity conditions exist in Churu District and the following Tehsils have been included in areas declared as scarcity :—

1. Tehsil Taranagar.
2. Tehsil Sardarshahr.
3. Tehsil Dungargarh.
4. Tehsil Rajgarh.

(2) Total expenditure on relief measures has been estimated to Rs. 28.40 lakhs. Out of this a sum of Rs. 21.50 lakhs have been sanctioned. This amount has been placed at the disposal of the Collectors to start relief works—

1. Roads through Revenue Agency	Rs.	1,44,000/-
2. Kutcha tanks and wells	Rs.	13,27,000/-
3. Water Supply	Rs.	1,08,500/-
4. Gratuitous Relief	Rs.	44,000/-
5. Cattle conservation	Rs.	56,500/-
6. Tacqavi loans	Rs.	3,70,000/-
7. Other charges	Rs.	50,000/-
	Rs.	21,00,000/-

The works are in full swing according to programme. Major part of the amount sanctioned have been spent.

Government have sanctioned a further sum of Rs. 5,00,000.

(3) The following road works have been taken in Churu District :—

1. Rawatsar-Sardarshahr *via* Pallu.
2. Taranagar to Sarva.
3. Rajgarh to Sankhu.
4. Dungargarh Station to Dungargarh Town.

(4) The collector Churu made no proposals. He indicated "I do not propose to take up small relief works in villages here and there. In order to give staisfactory relief to sufficient number of needy people it will be better if construction of roads is taken up".

Page No.43

(मोहनलाल सुखाड़िया)

The most convenient and useful roads will be as mentioned below :—

Taranagar-Nohar	.. 55 miles.
Churu-Bhaleri	.. 20 miles.
Sardarshahr-Dungargarh ..	.. 40 miles.
Taranagar-Bhadra	.. 35 miles.
Sardarshahr-Hanumangarh ..	.. 80 miles.

(5) Under relief programme these above mentioned roads could not be taken up as they could not be completed within specified time. After prolonge discussion the roads referred to in para (3) above have been taken up tentatively.

(6) The proposal to start Taranagar-Nohar Road is still under consideration. No final order has so far been passed.

(7) Road works have been started last week. Weekly progress report has not yet been received.

श्री **जसवन्तसिंह**—चूरू के अलावा बीकानेर डिविजन में और कौनसे इलाकों में अकाल स्थिति है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—यह प्रश्न चूरू से सम्बन्धित था अतः उसी के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की है। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में नहरी इलाके को छोड़कर नौहर, भादरा और हनुमानगढ़ तहसीलों के हिस्सों को भी कमीवाला इलाका घोषित कर दिया गया है। सिवाय नहरी इलाके के बीकानेर डिविजन की दूसरी तहसीलों को कमी वाला इलाका माना गया है और उन कमी वाले स्थानों पर अलग अलग तौर से काम की व्यवस्था करदी गई है। लूणकरणसर से भादरा सड़क पर काम शुरू कर दिया गया है। कोलायत से नोखा रोड बीकानेर से दिल्ली तक सड़क जाती है उसको रिपेयर करने का आदेश अभी जारी किया गया है । नौहर से सिवा होती हुई तारानगर की रोड को जोड़ने का काम शुरू हो गया है और भी दूसरी सडकें बनाने का काम शुरू कर दिया गया है ।

इस प्रकार बीकानेर डिविजन में स्थिति ज्यादा खराब होने के कारण अलग अलग जगह अलग तरह का काम शुरू कर दिया गया है । कहीं सड़कें बनानें का काम और जहां ज्यादा होंगी वहां और तरह का काम शुरू कर दिया जायगा ।

श्री **जसवन्तसिंह**—बीकानेर से गंगानगर की सड़क के लिए फरमाया की काम शुरू होगा; क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक काम शुरू होगा ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—वहां काम शुरू हो गया है ।

श्री **जसवन्तसिंह**—क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कब शुरू हो गया है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—करीब महिने भर से काम चालू है ।

श्री **कानसिंह**—कोलायत से जो सड़क का फरमाया वहां कब से काम चालू है ?.

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—चूंकि प्रश्न चूरू इलाके के बारे में था इसलिये विशेष जानकारी चूरू इलाके के बारे में ही हासिल की गई है ।

प्रश्न संख्या ५

श्री **एच.के. व्यास**–Will the Minister Incharge for Civil Supplies be pleased to answer :—

(*a*) Is it a fact that prices of wheat and gram have risen very high in Bharatpur during the last month ? What are the present prices and what they were three months back?

(*b*) Is it a fact that there is a grave discontent in the public about it?

(*c*) as the Government received any representation from the public of Bharatpur demanding cheap grain shops?

(*d*) Is it a fact that one Shri Jagannath Prasad kakkad has given a notice to start hunger strike from 17-2-1953, if these demands are not conceded?

(*e*) Is the Government aware that a weekly named "Navayug Sandesh" which is edited by Shri Aditendrya, President, Rajasthan P.C.C., has published news about the alarming situation prevailing there?

(*f*) What action has the Government taken to satisfy the demands of the public of Bharatpur for cheap grain shops?

श्री **भोगीलाल पंडया (अ)**—हां, गेहूं और चने के भाव में कुछ वृद्धि हुई है । इस समय तथा ३ मास पूर्व अनाज का भाव इस प्रकार था:—

	इस समय अनाज के भाव	नवम्बर १९५२ से पूर्व भाव
गेहूं	१९ से २१ रु० मन	१६ से १८ रु० मन
चना	१८ से १९ रु० मन	१६ से १७ रु० मन
जव	११ से १२ रु मन	१० से ११ रु० मन
बाजरा	११ से १२ रु मन	१३ से १४ रु० मन
जवार	१०॥ से ११ रु मन	११ से १२ रु० मन

Page No.45

(श्री भोगीलाल पंड्या)

(अ) भावों की साधारण वृद्धि होजाने से कुछ असंतोष तो हुआ, पर सस्ते अनाज की दुकानें सरकार की तरफ से खुलजाने के कारण अब कोई असंतोष नहीं है।

(इ) हां।

(स) हां, ऐसे आवेदन पत्र आये थे

(ड) हां, सूचना मिली थी। सस्ते धान की दुकानें खुलवादी गई हैं।

(इ) ९ फरवरी १९५३ को नवयुग संदेश में भरतपुर में अनाज के मूल्य वृद्धि की खबर प्रकाशित हुई थी।

(एफ) भरतपुर में सस्ते धान की दुकानें खोल दी गई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इतनी कीमत बढ़ने का कारण क्या है ? क्या अनाज बाहर जाने लगा था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने कलेक्टरों को ऑर्डर दे रखे हैं कि ज्यों ही अनाज के भाव बढ़ने लगें त्योंही सस्ते अनाज की दुकानें खोलदी जावें। साथ ही गेहूं का मूवमेन्ट खुला नहीं था। अब सारे राजस्थान में खोल दिया गया है इसका असर भावों पर पड़ा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उक्त नवयुग संदेश में वहां पर गेहूँ की कीमत २४, रु० से २६) रु० मन लिखी हुई है और आपने कम कीमत बतलाई है इसका क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उससे तो यही मालूम होता है १९से२१ रु० मन का था। नवयुग संदेश को ज्यादा भाव का किस तरह से मालूम हुआ यह मैं नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार को यह मालूम है कि अनाज के स्मगलिंग के कारण अनाज में इतनी कमी हुई और कीमतें बढ गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

राजा श्री मानसिंह—On a point of information, Sir, I gave notice, according to rules, of a question to be answered by the Revenue Minister. This is not included in the list of today. May I enquire why this question has not been included today ?

श्री अध्यक्ष—The list seems to be a heavy one.

राजा श्री मानसिंह—That is right, Sir, but I gave notice of a question together with another question which has been included but the former question has been left out. The question relates to whether.......... (बाधा)

श्री अध्यक्ष—You enquire from the office. You will get the information from the office.

समिति-निर्माण-आकलन समिति

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, I beg to move the following motion :—

"That the Members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (2) of Rule 189 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly 15 members from amongst their number to be members of the Committee on Estimates for the year 1953-54."

श्री हरिकृष्ण व्यास—We could not hear, Sir. Nothing was audible.

जन-लेखा समिति

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I again beg to move the following motion:—

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (2) of Rule 187 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly 10 members from amongst their number to be members of the Committee on Public Accounts for the year 1953-54."

श्री अध्यक्ष—So both the motion moved. Now the Question is whether both the motions be accepted.

(स्वीकृत)

So we take both the motions.

(विराम)

Now I have to inform the Members that the following days have been fixed for receiving nominations and holding elections, if necessary, in connection with both the Committees, namely—

Date for nomination....25.2.53.
Date for election........18.3.53.

Nominations for these Committees will be received in the Notice Office upto 2.00 P.M. and the days sanctioned for the purpose of elections which will be conducted by means of a single transferable vote will be held in the Assembly House between the hours 1.00P.M. and 3.P.M.

स्थगन प्रस्ताव

Mr. Mukti Lal Modi says that he gave notice of an adjournment motion. I at least have received none. Now we take Bills to be introduced.

(विचार विमर्श के पश्चात्)

Page No.47

(श्री अध्यक्ष)

There is one thing received and the Hon'ble Member is confused. It is a short notice question. It is not an adjournmnent motion. I think it is in English. This short notice question will receive its attention. I think the Hon'ble Member understands the difference between a short notice question and an adjournment motion.

(विराम)

Now Bills to be introduced.

विधान कार्य

जयपुर जिला समिति (अवधि-विस्तार) विधेयक, १९५३

श्री रामकरण जोशी (स्थानीय स्वायत्त शासन मंत्री)—Sir, I beg leave to introduce a Bill to provide for the extension of the terms of the District Boards constituted under the Jaipur District Boards Act, 1947.

श्री **अध्यक्ष**—Motion moved. Question is that leave be granted to introduce the Jaipur District Boards (Extention of Terms) Bill, 1953.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

श्री रामकरण जोशी—Sir, I beg to introduce the Bill.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२
(अग्रेतर विचार-विमर्ष)

Now we come to the Bill under consideration.

(विराम)

Motion is that Clause 5 of the Rajasthan Panchayat Bill be taken into consideration.

श्री तेजसिंह—माननीय मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"Insert the words "single member" before the word "wards" in second line, nd delete the following words occurring in 3rd and 4th line :—"and fix the number of Panchas to be elected from each such ward."

पूरा क्लाज मेरे संशोधन सहित इस प्रकार रहेगा...

"The Cheif Panchayat Officer may divide each Panchayat Circle into such number of single member wards as may be convenient for the purpose of election".

(श्री तेजसिंह)

माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन का मतलब है कि एक ही वार्ड में एक आदमी चुना जाना चाहिये। पुराने राजस्थान के पंचायत के कानून में भी ऐसा ही था। इस बिल के क्लॉज पांच के हिसाब से तो वार्ड बंट जायगा और उस हिसाब से दो या तीन आदमी भी एक वार्ड में चुने जा सकते हैं। एक वार्ड में एक ही व्यक्ति अगर चुना जायगा तो वह काम अच्छी तरह से कर सकेगा।

श्री **रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)**—माननीय अध्यक्ष, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फिर जवाब कैसे दे सकूंगा ?

श्री **अध्यक्ष**—मोशन तो आपके सामने है।

श्री **तेजसिंह**—मैं अपने संशोधन के साथ इस क्लॉज को पढ़ देता हूं। मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

'Insert the words "sinlge member" before the word"wards" in the 2nd line, and delete the following words occurring in 3rd and 4th line:—"and fix the number of Panchas to be elected from each such ward.'

संशोधन सहित पूरा क्लॉज इस प्रकार हो जायगा......

"The Cheif Panchayat Officer may divide each Panchyat Circle into such number of single member wards as may be convenient for the purpose of election.'

इस तरह से पंचायत सर्किल को सिंगल वार्ड में डिवाइड कर दिया जायगा। हर वार्ड से एक ही पंच चुना होगा और हर वार्ड से एक ही सरपंच का चुनाव होना आवश्यक है। इससे कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि हर मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति जो चुनाव के लिए खड़ा होगा वह चुना जायगा और वह अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी को समझेगा और उस पंचायत का काम भली प्रकार से चला सकेगा। भूतपूर्व राजस्थान में इसी प्रकार का पंचायत का कानून था। अतः सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री **जवानसिंह**—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज पांच के अन्त में "This shall be published in the Rajasthan Gazette." बढ़ाने के लिए दरख्वास्त की है। इस संशोधन द्वारा मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जगह पंचायत के वार्ड्स कायम होंगे और पंचों की संख्या कायम होगी उस जगह यह आवश्यक है कि वहां कितने पंच होंगे और खास तौर पर कितने वार्ड कायम होंगे, एक वार्ड में एक ही पंच कायम होगा या इससे अधिक, यह निश्चित संख्या जनता को मालूम हो जाय और पंचायत सर्किल में मालूम हो जाय तो आसानी रहेगी। अगर सरकार की तरफ से त्रुटी रही हो या पक्षपात, जो स्वाभाविक है, नहीं रहा तो समय पर ही सरकार को उचित निवेदन किया जा सकता है कि इस त्रुटि या पक्षपात को दूर करें। इस संशोधन द्वारा मेरा यही मत है। इसलिए यह जो आवश्यक फॉर्मेलिटी है वह अवश्य ही स्वीकार की जावे।

(श्री हिम्मतसिंह (चेयरमेन) पदासीन)

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—अभी क्लॉज पांच के लिये सदस्यों ने दो अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं। ये दोनों ही संशोधन व्यवहारिक नहीं हैं, अतः मैं इन्हें अस्वीकार करता हूं। राजस्थान राजपत्र में प्रदेश भर की ३२०० पंचायतों के वार्डों का पब्लिकेशन करना और बाद में चुनाव कराना सम्भव नहीं हो सकेगा और इसके अलावा चुनाव के काम में भी ढिलाई आ जावेगी।

साथ ही साथ वार्ड या गावों की आबादी भी मानी जावे तो यह भी सम्भव नहीं होगा क्योंकि किसी की आबादी कम होगी और किसी की ज्यादा। यह भी बात होगी कि हरेक वार्ड का चुनाव सिंगल बेसिस पर होगा; तब इसका औचित्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए संशोधन पेश करने वाले मेरे माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेलें और जिस धारा को सिलेक्ट कमेटी ने पूरे सोच विचार के बाद पेश किया है उसे स्वीकार कर लें।

श्री जवानसिंह—इसके विषय में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

मैंने जैसी दरखास्त की थी उसे मंत्री महोदय अस्वीकार कर सकते हैं क्योंकि हमें शुरू में ही हमेशा यह तो शक रहता है कि हम जो भी कुछ कहेंगे उसे आप लोग अस्वीकार ही करेंगे आम तौर से ऐसा सोचते हुए भी इसके बारे में तो थोड़ी आशा की थी कि आप रूल्स में थोडा बहुत इस प्रकार का प्रोविजन तो अवश्य रक्खेंगे पर आपने तो इसके मुतल्लिक कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप रूल्स में ऐसा प्रोविजन रखते कि इस तरह से पंचायत ऑफिसर वार्ड और पंचों की संख्या निश्चित करेगा और इस आर्डर में यह भी होता कि इतने दिन के पहले यह निश्चित होजाना जरूरी है तो चुनाव-कार्य अच्छी तरह से होता बाद में किसी को शिकायतें करने का मौका नहीं मिलता।

श्री रामकरण जोशी—हां यह ठीक है।

श्री जवानसिंह—मैं निवेदन करता हूं कि मुझे मेरा संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir., क्या आश्वासन दिया गया।

श्री रामकरण जोशी—मेरे माननीय साथी ने ध्यान नहीं दिया, इसका मैं क्या करूं। आश्वासन मांगा गया और वह दिया गया। इसके वाद अमेन्डमेन्ट वापिस लिया जाने की इजाजत मांगी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आश्वाशन दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—फिर एक्टिव और इन-एक्टिव लोगों में फर्क क्या रह जावेगा।

श्री चेयरमेन—फिर कह दीजिये महरबानी करके।

श्री रामकरण जोशी—यह बात थी कि वार्डस के बारे में और पंचायतों के पंचों की संख्या के बारे में काफी समय पहले प्रकाशन द्वारा घोषणा कर दी जावे ताकि उस क्षेत्र के लोग पहले इससे वाकिफ हो जावें कि फलां पंचायत के इतने वार्ड होंगे और इतने मेम्बर चुने जावेंगे। ऐसी घोषणा करने की मांग की गई थी। वह मांग हमने स्वीकार कर ली और इस बात की घोषणा चीफ पंचायत ऑफिसर के द्वारा वहीं करवा दी जावेगी। इस आश्वाशन के मिलने पर यह संशोधन वापिस ले लिया गया है।

श्री चेयरमेन—श्री जंवानसिंह अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेना चाहते हैं। क्या हाउस की राय है कि उन्हें इसे वापिस लेने की स्वीकृति दी जाय ?

(स्वीकृत)

श्री चेयरमेन—राइट । यह संशोधन वापिस लेने की स्वीकृति दी जाती है ।

श्री जवानसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री तेजसिंह—मेरा भी एक संशोधन है, उसे मैं वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री चेयरमेन—श्री तेजसिंह अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा चाहते हैं। क्या हाउस की राय है कि उन्हें इसे वापस लेने की स्वीकृति दी जाय।

(स्वीकृत)

श्री चेयरमेन—आपको आज्ञा दी जाती है।

श्री तेजसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री चेयरमेन—अब सदन के सम्मुख प्रश्न यह है कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।

(सर्व सम्पति से स्वीकृत)

यह क्लॉज नम्बर ५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

अब क्लॉज नम्बर ६ आता है।

श्री गोपीलाल यादव—इस खण्ड पर मैं अपना अमेन्डमेन्ट पेश करता हूं।

श्री चेयरमेन—पहले श्री तेजसिंह अपना संशोधन पेश करेंगे।

श्री तेजसिंह—"Insert the following words after the words "be held" occuring in second line :—

'in open on the basis of adult franchise, joint suffrage and single transferable vote'."

यह कोई नई चीज जोडने की नहीं है। इसको ज्यादा स्पष्ट रूप में रखने के लिए इन शब्दों को जोड़ दिया जावे तो इस क्लॉज का मतलब और भी साफ हो जाता है।

मैं आशा करता हूं कि इसे मंत्रीजी स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामकरण जोशी—पहले, इस पर जितने संशोधन हैं वे ले लिये जाएं।

श्री चेयरमेन—श्री शम्भूसिंह अपना अमेन्डमेन्ट नम्बर २ पेश करेंगे।

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

"In place of the words 'in the prescribed manner' substitute the words 'according to rules which should be framed under section 88 of the Act.'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सेक्शन में "इन दी प्रेस्काइब्ड मेनर" जो शब्द हैं वह वेग टर्म (Vague term) है। इस वास्ते मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

जब हम किसी बिल के अन्दर उसकी कमी को देखकर उसमें संशोधन आदि कराने का अधिकार लेते हैं तो इस बिल की धारा ८८ की तरह कोई धारा रखते हैं। इससे गवर्नमेन्ट के हाथ में नियम बनाने की पॉवर आती है। पर इस क्लॉज ६ में इलेक्शन कराने के बाबत कोई नियम नहीं बताया गया है। तो इस वास्ते इस संशोधन द्वारा वह अधिकार सरकार को मिले, इस तरह का कुछ तरीका निर्धारित हो जाना चाहिये और यह जरूरी है, खास कर ऐसी हालत में जब कि अबतक बगैर किसी नियम के चुनाव होते आये हैं। कहने को कुछ नियम हैं जिनके मातहत चुनाव होते हैं लेकिन इनमें बड़ी धांधली होती है। एक जगह का मैं आपको जिक्र करता हूं। हुआ यह कि इन्सपेक्टर साहब आये और पंचायत का चुनाव कराया। दुर्भाग्य से वहां की जनता दलबन्दी का शिकार थी, इस वास्ते उन्होंने यह कोशिश की कि आम जनता इस चुनाव में स्वतन्त्रता पूर्वक भाग न ले सके। अतः ज्योंही इन्सपेक्टर साहब ने पंचायत का चुनाव कराया एक पार्टी स्कूल के बहुत से बच्चों को बुला लाई और हाथ खड़े करवा कर अपने अपने आदमियों को चुनवा दिया। और इस तरह से जो सही मानें में उम्मीदवार थे और चुने जाने को थे वे नहीं चुने जा सके।

श्री चेयरमेन—Please keep yourself to the point.

श्री शम्भूसिंह—इस वास्ते मेरा निवेदन है कि यह रूल फ्रेम हो जाने चाहियें। इतना ही कहकर मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री चेयरमेन—Yes, Shri Yadav.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, मेरा संशोधन यह है कि क्लॉज ६ के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जाएं: "But no candidate or candidates shall be set up by any political party nor the elections be fought on party basis."

माननीय अध्यक्ष, पार्टी सिस्टम का जो कड़वा तजुर्बा हमें थोड़े अर्से में हुआ है उससे आज मैं यह कह सकता हूं कि देश में इन्साफ खतम हो गया, भ्रातृभावना खत्म हो गया, अधिकांश लोगों की की अन्तरात्मा, कोन्स्यंस खतम हो गया। लोगों का एक पार्टी व्हिप के तहत वह बातें भी करनी पड़ती हैं जिनको उनकी आत्मा कभी कभी हरगिज स्वीकार करने को तैयार नहीं।

[श्री गोपीलाल यादव]

जो आज एक दूसरे का मित्र था, शत्रु होगया; एक दूसरे की बात तक सुनने को तैयार नहीं। अगर आॅपोजिट पार्टी अच्छी से अच्छी बात भी कहे तो उसको नहीं मानना ही बहुमत का कर्तव्य समझा जाता है। यह पार्टी सिस्टम इस कदर एक बड़ा जहर पैदा करता जा रहा है कि अगर यह जहर बढ़ता ही गया तो हमारे देश का भविष्य खतरे में पड़ जावेगा।

अभी तो धारासभा का और पार्लियामेन्ट का चुनाव हुआ है। आज इन चुनावों का जहर खतम होकर केवल इस धारासभा की चहारदीवारी में करीब करीब आ गया है और देहातों के लोग इस जहर को भूल जावेंगे। लेकिन अगर अब पंचायतों के चुनावों में पार्टीबाजी का दखल कर दिया गया और पार्टी के बेसिस पर पंच चुने जाने लगे तो हरेक गांव में पक्षपात, अन्याय, द्वेष और दुश्मनी का जहर बिलकुल एक पक्की नींव पर कायम हो जावेगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि कम से कम इन पंचायतों के चुनावों को इस जहर से दूर रक्खा जावे।

इसका एक कारण और भी है। यहां हमारा काम कानून बनाने का है। एक पार्टी बहुमत के बल पर कानून बना सकती है। उसे जनता चाहे जिस वक्त बदल दे। पंचायतों का कानून दूसरे तरीके का है। कानून बनाने और एडमिनिस्ट्रेटिव होने के साथ न्याय करना भी उसका काम है। जजेज् जो हों वे पार्टी बेसिस पर चुने हुए नहीं होने चाहियें। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस क्लॉज में यह चीज एड कर दें कि पंचायतों का चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होना चाहिये और पार्टियां अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगी। जो लोग खड़े होंगे उन्हें सब लोग मिलकर न चुनेंगे और इसतरह से वह चुना जायगा सब का पंच। उस पर किसी पार्टी का नियन्त्रण नहीं होगा। उसे किसी पार्टी से सहानुभूति होगी और न किसी से दुश्मनी। मैं इस पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं समझता। मेरे मंत्री महोदय इस चीज को मानेंगे। पचायतें,जहां हम न्याय करने की आशा रखते हैं वहां अच्छा वातावरण होना चाहिये, और अच्छा वातावरण कायम किया जाना चाहिये। तो यह आवश्यक डाइरेक्टिव प्रिंसिपल इस इलेक्शन क्लॉज के साथ जोड़ दिया जाय तो अच्छा होगा। इससे मैं आशा करता हूँ कि देहात का वातावरण अच्छा रहेगा। सद्भावना के साथ मैंने इस बात को रखा है और मेरे मित्र अगर इसे मानेंगे तो मैं बहुत आभारी हूंगा।

श्री चेयरमेन (श्री एच. के व्यास को सम्बोधित करते हुए).– Do you want second to it?

श्री एच.के व्यास––I have given notice of an amendment, Sir.

श्री चेयरमेन—I thought you stood to second it.

श्री एच.के व्यास––Mr. Chairman, Sir, I move the following amendment to this Clause:—

"At the end of Clause 6, add the following proviso :—

[श्री एच. के. व्यास]

"Provided that the mode of voting in such elections shall be by secret ballot and proportional representations."

मेरा जो अमेन्डमेन्ट है उसमें भी एक डाइरेक्टिव है वह एक जुदा डाइरेक्टिव है दूसरे अमेन्डमेन्ट्स से। वह यह कि दो चीजें तय हो जानी चाहियें। पहली बात तो यह कि इन चुनावों में जो मत-गणना हो वह सिकरेट बेलट द्वारा हो। दूसरी बात यह कि इसका तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का तरीका हो। मैं इन दो चीजों पर ज्यादा जोर क्यों देना चाहता हूं इसके कारण सदन के सामने पेश करूंगा। आजकल पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनमें पंचायत अधिकारी जाते हैं और कोई समय मुकर्रर करके एक मिटिंग बुला लेते हैं और वहां हाथ खड़े करवाकर चुनाव कर लिया जाता है। कभी घंटे दो घंटे मिटिंग में देर हो जाती है और कभी दस बजे प्रातः का समय दिया जाता है तो मीटिंग शाम को ६ बजे होती है। इस प्रकार हाथ खड़े कराकर और चुनाव करवा लिया जाता है। इस प्रकार सही हकीकत क्या है, असली इच्छायें क्या हैं, वे सामने नहीं आती। अब जब वार्ड स वाइज चुनाव होंगे तो परेशानियां आयेंगी। वेरिफिकेशन के जरिये, कौन आदमी एन्टाइटल्ड है इस बारे में भी परेशानियां होंगी। यह सब काम करने होंगे; रिकार्ड तैयार करने होंगे, कोई तरीका (प्रोसीजर) इसके लिये मुकर्रर करना होगा। फिर क्यों आप बेलट रखते हैं। सरकारी अधिकारियों की देखरेख में और कभी कभी उनके पास न करने पर भी चुनाव की जो प्रथा आज चल रही है उसे बन्द करना चाहिये। तो उसके लिये सीकरेट बेलट से वोटिंग किया जाय।

दूसरे भाग के संबन्ध में मेरा निवेदन यह है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन हो। मेरे एक माननीय मित्र अभी कुछ समय पहले कह रहे थे कि इन पंचायतों को काफी अधिकार दिये जा रहे हैं। इसलिये पार्टी के आधार पर चुनाव में व्यक्तियों को खड़े नहीं करना चाहिये, न चुनाव लड़ना चाहिये। कहने के लिये तो बात बहुत दुरुस्त है, लेकिन यह इम्प्रेक्टिकेबल है। लेकिन जो मेरे मित्र की मन्शा है वह मंशा इस मेरे अमेन्डमेन्ट द्वारा पूरी हो सकती है। वह यह कि ५१,५२,५५,६० प्रतिशत लोग सारे के सारे सीटों का मोनोपोलाइज न कर पायें। इसलिये अल्पमत का कानूनी तौर पर रिप्रेजेन्टेशन हो। उनको भी प्रतिनिधित्व मिले इसका तरीका एक ही है वह है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन। इसी के द्वारा हम सही तरीके से, सही मायने में संयुक्त प्रतिनिधित्व की पंचायतों का निर्माण कर सकते हैं। मुझे यह अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करते समय यह आशा जरूर है कि सदन इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेगा और मंत्री महोदय भी करेंगे। मैं यह आशा व्यक्त करता हूं।

श्री मानसिंह महार (जमुआ रामगढ़)—चेयरमेन साहब, इस पंचायत विधेयक के छठे क्लॉज पर तीन अमेन्डमेन्ट हैं। इन अमेन्डमेन्ट के बारे में सदन से मुझे यह अर्ज़ करना है कि जो अमेन्डमेन्ट मेरे मित्र कुंवर तेजसिंह जी, ने मूव किया है वह बहुत उचित और जनता के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मैं मानता हूं कि जिस आधार पर और जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं या हुए हैं उनमें कई प्रकार की खामियां हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि इस सदन में बहस मुबाहिशा व विचार विमर्ष होकर यह तय होजाना चाहिये कि किसी भी चीज में खामियां होने के बजाय चीज का स्पष्ट होजाना बहुत अच्छी बात है।

मैं समझता हूं कि क्लॉज ६ जो है इसमें अगर यह हो जाता है, जिस तरह मेरे दोस्त ने ओपिनिसिस पर होने का कहा है, तो यह बहुत उचित चीज है।

Page No.54

[श्री मानसिंह महार]

इसके अलावा दूसरा अमेन्डमेन्ट मेरे मित्र श्री गोपीलाल यादव का है, वह बड़ा ही वाजिब एमेण्डमेन्ट है। और इन दोनों ही ऐमेन्डमेन्ट्स को मैं क्यों सपोर्ट करता हूं और साम्यवादी सदस्य के एमेन्डमेन्ट का क्यों विरोध कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण जनता बहुत ही भोलीभाली जनता है और उस जनता तक अभी तक इस पार्टी बाजी की पहुंच नहीं है और इसको पहुंचाने की कोशिश किस प्रकार की जाती है इसका नमूना मेरे दोस्त मि० व्यास ने अभी रखा है कि सिक्रेट बेलेट से वोटिंग होना चाहिये। यह वही उनके अन्डरहेंड तरीके से घुसने का तरीका है। मैं इस सदन को, आपके जरिये, चेतावनी देना चाहता हूं कि यह सिक्रेट बेलेट वाली बात है इसको मन्जूर नहीं किया जाय। गांव में जो अभी तक होता आया है वही किया जाय। गांव के आदमी भोले भाले होते हैं। उनके यहां तो अब तक यही तरीका चलता आया है कि किसी मसले पर गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यह पूछने पर कि आप लोग किसको चाहते हैं वे जिसको चाहते हैं उसके लिये वहीं 'हां' या 'ना' कह देते हैं और इस प्रकार वह व्यक्ति मुकर्रर हो जाता है। यह बहुत ही उचित चीज है। इस बिल की इस धारा पर मैं निवेदन करूंगा कि यह एक वाजिब जो हमारी मांग है उसको स्वीकार करके कुंवर साहब का यह जो एमन्डमेन्ट है,

"In open on the basis of adult franchise, joint suffrage and single transferable vote."

स्वीकार करें। इसके अलावा हम नहीं चाहते कि साम्यवादी लाल झन्डा लिये गांव में भी पहुंचे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में आदर्श स्थापित करने को तैयार हों। गांव के अन्दर ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होंगे वे पार्टी बाजी पर नहीं होंगे बल्कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर होंगे कि वह आदमी इस लायक है या नहीं। इसमें यह नहीं देखा जायगा कि फलां आदमी फलां पार्टी का है इसलिये पार्टी के मेन्डेट की वजह से वोट दिये जायं, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रामीण वाकई वोट देने के लायक हैं और वे समझें कि वह उनकी सच्ची सेवा करेगा तो यह बड़ा अच्छा होगा। अतः जितना हो सके पार्टी बाजी से हमारी ग्रामीण जनता को दूर रखा जाय। आशा है दोनों एमेन्डमेन्ट्स को मन्त्री महोदय स्वीकार करके, एक तरफ जो साम्यवाद को बढ़ावा मिलेगा उसको रोकेंगे और दूसरी तरफ हमारे एमेन्डमेन्ट को, एकोमोडेट करने के लिहाज से, मन्जूर करेंगे।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मुझे दुख है कि ये एमेन्डमेन्ट किसी विशेष ख्याल से दिये गये हैं, जैसा कि साम्यवाद के बारे में अभी आदरणीय वक्ता ने कुछ फरमाया है। वैसे और भी हो सकते हैं।

'प्रेस्काइब्ड मेनर' जो टर्म है वह विधान में हर जगह प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा वह कानून सेटल किये जाते हैं जिनके द्वारा कोई काम होने वाला होता है। इसलिये वे कायदे जिनके द्वारा यह चुनाव होगा वे गवर्नमेन्ट की मन्जूरी के बाद गजट में शाया कर दिये जायेंगे और उन कायदों के मुताबिक चुनाव होगा।

Page No.55

[श्री रामकरण जोशी]

मतदाताओं के बारे में एक सज्जन ने फरमाया था कि उनकी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसी विधान की धारा १० में क्वालिफिकेशन्स मतदाताओं की दी हुई है। इसलिये उसका समावेश करने की आवश्यकता नहीं।

पार्टियों के बारे में श्री गोपीलाल जी ने जो फरमाया है वह सही है। इस जहर को देहात में हीं पहुंचाना था; लेकिन असेम्बली और पार्लियामेंट में अपने अपने निशान लेकर हम और हमारे थी सब पहुंचे हुए हैं। इसलिये उस बात को अब कहां से हटाया जायगा। बाकी रही यह बात कि यह सब लोगों के समझने की बात है कि देहातों के अन्दर इस तरीके से चुनाव नहीं करें, चुनाव के वह तरीके अख्त्यार नहीं करें जिससे कि गांव में वह जहर पैदा नहीं हो और गांव में आपस में प्रेम पैदा हो, लेकिन किसी भी विधान के अन्दर इस तरह की बन्दिश और रुकावट नहीं डाली जा सकती है कि पार्टीबाजी पर कोई चुनाव नहीं हो। हिन्दुस्तान के कॉन्सटीट्युशन में कहीं नहीं है कि पार्टी को चुनाव से रोका जाय या चुनाव पार्टी बेसिस पर रोका जा सके। इसलिये उस पर कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती है।

सिक्रेट वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन की बात करना तथा सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट की बात करना, यह सब वहां के लिये नहीं है बल्कि आपके यहां के सदन के लिए है, और इस सदन में होना चाहिए। वे लोग साफ दिल के हैं खुले मैदान की तरह और वे उसी तरीके को पसन्द करने वाले हैं। जिस ीज को वे पसन्द नहीं करते हैं उनके मामले में इस तरह की बन्दिश करना उनको अव्यवहारिकता के क्षेत्र में डालने का प्रयत्न करना है। इसलिये मेरे साथियों से निवेदन करता हूं कि वे अपने एमेन्डमेन्ट्स को वापिस लेलें, और सिलेक्ट कमेटी ने खूब सोच विचार के बाद जो प्रयोग अपने यहां सफल हो सकता है, जो व्यवहारिक है और ठीक है वह उन धाराओं में यहां लिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जिस गंभीरता से यह कानून बनाया जा रहा है उतनी ही गंभीरता से सदन की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, और वोट देने का मौका आयगा तो बुला लिये जायेंगे। खैर।

माननीय मन्त्री जी ने, ग्रामीण जनता की सादगी और उनकी संजीदगी और नापसन्दगी के आधार पर मुझे यह कहा है कि मैं अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेलूं। उनके जवाब में मैं उसी बात को दोहराऊंगा जो कि उन्होंने माननीय गोपीलाल जी के संशोधन का जवाब देते हुए कहा था। यदि यह ामीण जनता की सादगी और अच्छाई और इच्छा और नाइच्छा के आधार पर तय करने का मामला है स सदन के लिए वह चुनाव हुए थे और अधिकांश वोट गांवों में ही गिरे थे। उस समय भी शायद वही तरीका काम में लाया जा सकता था; लेकिन वह तो नहीं लाया गया, सिक्रेट बेलेट से ही वोट हुए। उन क्षेत्रों में जहां मल्टी मेम्बर कॉन्स्टीट्युएन्सी थी वहां एक तरीके का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन ही काम में लाया गया। आप ३ साल के बाद यह चुनाव होने का क्लॉज रखते हैं और समय बढ़ाने का अधिकार भी सरकार अपने पास रखती है ऐसी हालत में रोज रोज कोई चुनाव होने वाला नहीं है, और जब रोज रोज चुनाव नहीं होने वाले हैं तो क्यों नहीं वे तरीके अपनाये जायं जिनमें धांधली की गंजाइश नहीं रहे। ठीक है

Page No.56

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

यह कहना कि ग्रामीण जनता बहुत ही साफ दिल की होती है। साफ दिल है वह। लेकिन चुनाव के अधिकारी वहां जो जाते हैं वे हर बार साफ दिल होते हों, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। नतीजा यह देखते हैं, मन्त्रीजी खुद इस बात को मानते हैं क्योंकि सैंकड़ों शिकायतें आ रही है कि समय बदल दिया गया और सूचना नहीं दी गई, सुबह के बजाय शाम को चुनाव कर लिये गये, अधिकारी चुनाव के मौके पर नहीं पहुंचे और चुनाव मन्सूख कर दिये गये और बाद में चुपके से कर लिये, ऐसी सैंकड़ों शिकायतें रोज आरही है। सही हों या गलत, लेकिन शिकायतें आ अवश्य रही हैं। ये सब बात बताती हैं कि ग्रामीण जनता जो है वह मौजूदा तरीकों से असन्तुष्ट है। इसलिये जिन तरीकों में धांधली नहीं रहती हो, आर्बीट्रेरिली कोई चुनाव नहीं करें और जिस तरीके से सही प्रतिनिधित्व लोगों का किया जा सकता हो वे तरीके अपनाये जाने चाहियें। और इसलिये मैं अपने एमेन्डमेन्ट को प्रेस करता हूं और इसलिये प्रेस करता हूँ कि यदि सही चुनाव करवाना हो, सरकारी पक्ष के ही लोगों को चुनवाना हो और अगर चुने नहीं जाते हैं तो उन्हे नामीनेट कर दिया जाता है, इस प्रकार की पंचायतों का निर्माण नहीं करना हो तो मेरा एमेन्डमेन्ट मान लिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सदन के सामने यह संशोधन मैंने रखा है मत के लिये।

श्री **गोपीलाल यादव**—चेयरमेन महोदय, मेरे एमेन्डमेन्ट के सम्बन्ध में मेरे मित्र, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि यह विधान के खिलाफ है। यदि यह एमेन्डमेन्ट विधान के खिलाफ हो तो मुझे इसको वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज विधान की किताब नहीं लाया हूं वरना मैं उन्हें बतलाता कि यह विधान के खिलाफ नहीं है, यह विधान के अनुसार ही है। यदि मेरे माननीय मित्र इस बात का आश्वासन दें कि यदि यह विधान के अनुसार होगा तो वे इसे मान लेंगे और विधान के खिलाफ होगा तो मैं इसको वापिस ले लूंगा तो मैं अभी विधान की पुस्तक ला कर साबित कर सकता हूं। इसके अलावा मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो रीजनेबल बातें हैं उनको मानने में विधान रुकावटें नहीं डालता है। यहां पंचायतों में अदालती काम होगा और वहां पर पार्टी बेसिस को काम में लाना कोई विधान की चीज नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि यह चीज जरूर इसमें आ जानी चाहिये। अगर नहीं आती है तो सरकार को चाहिये कि जिस तरह से पहले इन्स्ट्रूमेंट ऑफ इन्सट्रक्शन्स, जो अंग्रेजों के समय में वाईसराय की तरफ से निकलते थे, उसी प्रकार कोई सर्क्युलर या हिदायत आदि पार्टी के लीडर या किसी दूसरे तरीके से निकलवा दें कि पंचों का चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं लड़ा जावे। यदि वे ऐसा भी कोई मुझे आश्वासन देदें तो मैं अपने एमेन्डमेन्ट को वापिस लेने के लिये तैयार हूं। यदि आपको इसमें आपत्ति हो या अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी हिदायत हो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा यदि यह एमेन्डमेन्ट प्रेस करने के बाद निकल जाए।

रावत श्री शम्भूसिंह—चेयरमेन महोदय, मेरा भी एक एमेन्डमेन्ट है। मन्त्री महोदय ने और और संशोधनों के मुतालिक तो अपना उत्तर दे दिया मगर मेरे अमेण्डमेण्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे संशोधन का मतलब बिलकुल साफ है। मैं तो इस संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि "In the proscribed manner" के स्थान पर "According to rules which should bo framed under section 88" जोड दिया जावे। आपको खण्ड ८८ में चुनाव

[रावत श्री शम्भूसिंह]
सम्बन्धी रूल बनाने का अधिकार नहीं है। मेरे इन शब्दों को जोड़ने से आपको रूल्स बनाने का अधिकार हो जायगा। मेरा यह एमेन्डमेन्ट तो आपको पॉवर देने वाला है। यदि आप सेक्शन ८८ को मुलाहिजा फरमावेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह मेरा एमेन्डमेन्ट आपको अधिकार देता है। इसके अलावा चुनाव किस तरह होगा इसका भी कोई जिक्र नहीं। इन सब बातों को साफ करने लिये ही मैंने यह सुझाव रखा है। इसलिये मुझे आशा है कि मेरे इस सीधे-सादे संशोधन को मन्त्री महोदय अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री **तेजसिंह**—अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मन्त्री महोदय ने मेरे संशोधन पर प्रकाश डाला है। मेरा तो संशोधन सीधा है और मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करने में कौनसी हिचकिचाहट है जब वे उसकी कुछ बातों को स्वीकार करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार होगा।

श्री **रामकरण जोशी**—मैं समझता हूं कि मुझे एमेन्डमेन्ट तो स्वीकार नहीं करने हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो वोट ले लिये जावें। अभी श्री शंभूसिंह ने सेक्शन ८८ का जिक्र करते हुए बतलाया कि उनका एमेन्डमेन्ट सरकार को पॉवर देने वाला है। इसके सम्बन्ध में मैं यह बता दूं...

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Is it open to the Hon'ble Member to have another right of reply ?

श्री **चेयरमेन**—No.

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Then is it possible for the member in-charge to have two rights of reply

श्री **चेयरमेन**—No.

श्री **एच. के. व्यास**—Then he has already replied.

श्री **रामकरण जोशी**—मुझे कोई जवाब नहीं देना है। मुझे तो सिर्फ यही निवेदन करना है कि यदि सदस्य एमेन्डमेन्ट वापिस नहीं लेते हैं तो इन पर वोट ले लिये जावें।

श्री **गोपीलाल यादव**—यदि आप एमेन्डमेन्ट रखने वालों के जवाब सुन कर उन जवाब देने वालों को कोई सूचना देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उनको रिप्लाई के तौर पर नहीं बल्कि उसके मानने और न मानने पर कुछ भी कहें तो आपको बोलने का अधिकार है।

श्री **रामकरण जोशी**—संशोधनों पर वोट ले लिये जावें।

श्री **गोपीलाल यादव**—मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री **चेयरमेन**—प्रश्न यह है कि क्या श्री गोपीलाल यादव को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा सदन प्रदान करता है ?

Page No.58

(स्वीकृत)

श्री **चेयरमेन**--आज्ञा प्रदान हुई।

श्री **गोपीलाल यादव**--मैं सदन की आज्ञा से अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री **चेयरमेन**--(श्री शंभूसिंह को सम्बोधित करते हुए) Do you want to withdraw or press.

श्री **शम्भूसिंह**--I do not want to withdraw, Sir.

श्री **चेयरमेन**--सदन के सामने अब प्रश्न यह है कि श्री शंभूसिंह के क्लॉज् ६ पर के संशोधन को स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

श्री **चेयरमेन**--श्री शम्भूसिंह का संशोधन गिर गया।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--I press my amendment, Sir.

श्री **चेयरमेन**--अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास के क्लॉज् ६ पर के संशोधन को स्वीकार किये जाए।

(अस्वीकृत)

(विराम)

श्री **चेयरमेन**--श्री एच. के. व्यास का संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब सदन के सामने प्रश्न यह है कि क्लॉज् ६ को मूल रूप में पास किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज् ६ विधेयक का अंग स्वीकृत हुआ।

(विराम)

क्लॉज् ७ अब क्लॉज ७ पर एमेन्डमेन्ट नम्बर २७ लिया जाता है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**--क्लॉज नम्बर ७ पर मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार है "In line 3 of the proviso to the Clause substitute word 'one' in place of the word 'four'." मि० चेयरमेन सर, यह क्लाज जिस तरीके से बनाया गया है मैं नहीं कह सकता कि सिलेक्ट कमेटी की या इस बिल बनाने वालों की मंशा इससे क्या रही होगी। लेकिन जो शब्द इसमें काम में लिये गये हैं उनका अर्थ तो यही निकलता है कि पंचायत की लाइफ तीन साल की है, उसके खत्म होने के बाद उसकी टर्म को सरकार समय समय पर बढ़ा सकती है और एक्सटेन्शन का यह समय ४ साल का रखा गया है। इस प्रकार से वर्डिंग्ज रखे गये हैं कि इसकी मंशा समझ में नहीं आती। मैं यह चाहता हूं कि कभी कनफ्यूजन न हो और दो मतलब निकलें ऐसी गुंजाइश न रहे और यह बात साफ हो जावे इसीलिये मैंने यह अपना एमेन्डमेन्ट रखा है। मैं आपका ध्यान इस क्लॉज् के प्रोविजो की लाइन दो की तरफ दिलाना चाहता हूं। शब्द इस प्रकार हैं

Page No.59

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

The proviso stands like this:—

"Provided that the State Government may by notification in the Rajasthan gazette, extend from time to time the said term for a period not exceeding four years." It may be extended to four years. "May extend from time to time the said term for a period ..." What is that period ? Not exceeding four years in the aggregate. Now the term "four years" qualifies the period. So my amendment is "for a period not exceeding 1 year in the aggregate 'Three years' term and 1 year's extention.

इस प्रोविजो से यह समझा जा सकता है कि तीन साल का समय तो पंचायतों का है ही फिर उसको चार साल तक एक्सटेन्ड किया जा सकता है। पंचायतों को एक्सटेन्ड करना सरकार के हाथ की बात है। अतः इसका मतलब हुआ ७ साल तक पंचायत काम कर सकती है। इसका यह अर्थ निकलता है इसलिये मेरा यह कहना है कि इस ४ साल के बजाय एक साल कर दिया जाय। चूंकि यह पीरियड को क्वालिफाई करता है इसलिये ३ साल को टर्म और एक साल का एक्सटेन्शन हो। इस आशय से मैं अपना एमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरिदत्त—"फौर" की जगह "टू" कर दिया जावे।

"the said term for a period not exceeding four years"..If we substitute "one" for "four", then the sentence will run like this:—

"The said term for a period not exceeding one year in the aggregate."

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—I have no objection to the amendment proposed my Hon'ble friend if the Government is prepared to accept it. Because according to the amendment I have proposed, it shall be extended more than once . But according to the amendment which he has put in they can exercise the option only once, and once they have extended, they cannot extend it. If the Government is prepared to accept this, what objection can I have to it ?

श्री **गोपीलाल यादव**—In place of word "four" the word "two" is better.

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Chairman, Sir. I think the whole thing is quite clear. The original term is only three years So if you read the proviso : "Provided that the State Government may, by notification in Rajasthan Gazette extend from time to time the said term (i.e. the term of the Panchayat) for a period not exceeding four years in the aggregate." It means, it is quite correct to have three years as the term, then an extention can be granted for one year from time to time. So the aggregate will be four years. I do not think there is any difficulty in the language.' I will request my Hon'ble friend to read it again and try to

Page No.60

[श्री मथुरादास माथुर]
interpret the term "term" as the term of Panchayat, not the term of the extension, and if you put "one year", then the sense becomes, so to say, senseless because "Aggregate" is also used. The term is already "three years" and if we put "one year" then the whole term will be only one year. But now it will be for three years. So my submission is that the draft is quite correct and it should be accepted as such.

श्री हरिकृष्ण व्यास–What has the Hon'ble Member to say about the amendment for replacement of the word "for" by the word "to"?

श्री गोपीलाल--पंचायत की अवधि और एक्सटेन्शन दोनों मिलाकर ४ साल का अर्सा हुआ, अतः इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--I just wanted to know from the Hon'ble Member-in-charge of the Bill, his opinion about the suggestion for replacement of the word "for" by the word "to".

श्री रामकरण जोशी—If Mr. Vyas has heard the explaination by Mr. Mathur..

श्री हरिकृष्ण व्यास–I have not only heard it but I find it difficult to agree with him. It is not a matter of interpretation of one man. We can differ from each other, lawyers will differ still more, and we do not know what it will all lead us to. So what is the opinion of the Member-in-charge in regard to the other amendment? If that amendment is accepted I shall not press my amendment, but then I will stick to my own, interpretation.

श्री हरिदत्त—May I speak a word about it? I differ ....

श्री रामकरण जोशी—मंशा इसमें साफ है कि पंचायत की टर्म ३ साल है। अगर एक्सटेन्शन करने की जरूरत पड़ी, एक दफा या ज्यादा दफा तो सब मिला कर एक्सटेन्शन १ साल से ज्यादा नहीं होगी। पंचायत की टर्म और एक्सटेन्शन की टर्म दोनों मिला कर ४ साल से ज्यादा नहीं होगी। इससे सारा काम हल हो जाता है। इसलिये इस एमेन्डमेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेंग्वेज दुरुस्त हो जाय तो मुझे अपने अमेन्डमेन्ट पर प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—नहीं, लेंग्वेज कैसे दुरुस्त हो सकती है?

श्री रामकरण जोशी—लेंग्वेज दुरुस्त ही है। आप इसे फिर से पढ़िये। या तो आप खुद समझ जायेंगे या आपको कोई समझा देगा। इसलिये इसमें किसी तरह का अमेन्डमेन्ट स्वीकार करने की कोई गुंजायश नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो इसे विद्ड्रा नहीं करूंगा। I shall still stick to the interpretation.

श्री चेयरमेन—May I put the amendment to vote?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will request the Hon'ble Minister for law to have a say before it is put to vote.

श्री गोपीलाल यादव—If the word "to" is substituted in place of word "for" it will be better.

श्री हरिदत्त—That has to be done, Sir.

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि इस भाग की मंशा सबके दिमाग में साफ है कि टोटल ऑफ एक्सटेन्शन पीरियड एक साल से ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें कोई ड्राफ्ट की गल्ती नहीं है। मैं समझता हूं कि श्री व्यास इसे एक बार और पढ़ें तो साफ हो जायेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मिस्टर चेयरमेन, मैं इसे पढ़ ही देता हूं इस तरह से जिस तरह से कि मैं इसे इन्टरप्रेट करता हूं।

श्री चेयरमेन—Will that be repitition?

श्री हरिकृष्ण व्यास—No Sir.

(विराम)

Mr. Chairman, Sir, that would not be repitition. My friend has interpreted it in a different manner. The whole matter depends upon the intention of the clause. From what is written in the clause, we can have different interpretations. The State Government may extend the term. The right is given to extend the term. All right. From "extend" we proceed to "extend for a period". The right is given to extend the term, and the right is limited to a period. So the language is "extend for a period". How much is that period? "Not exceeding four years in the aggregate" necessarily means a definite period. I agree to giving the State Government the right to extend the term. True, for a particular period. It is also true that that particular period is a one year. As now taken by us, extending for a period will not be more than four years in the aggregate. By no stretch of imagination it can be extended for another four

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

years. That is how I understand it. If somebody could enlighten us in the matter, it will perhaps be better, so that............

श्री हरिदत्त—"Aggregate" means the total period of extension. So in the present form this can mean extension for four years. That can also be its interpretation.

श्री रामकिशोर व्यास—It would have been better if my learned friend move the amendment after considering the clause. Although to me the whole thing is quite clear, but still, in order to see that there is no ambiguity at all, we can do it like this : "Provided that the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, extend from time to time the said term by a period not exceeding one year in the aggregate".

श्री हरिदत्त—That will make the whole thing clear.

श्री रामकिशोर व्यास—Instead of "for" we put "by" and instead of "four" we put "one" and instead of "years" we put "year."

श्री हरिकृष्ण व्यास—Instead of "by" why not put "to"?

श्री मथुरादास माथुर—It will be wrong English.

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास—These are changes in the language. They can be initiated by the Chair. You can just suggest this to the Members to explain this change.

श्री वेदपाल त्यागी—The amendment may be made later on to the clause.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am glad to see something on which you have concede to the right point.

एक माननीय सदस्य—May we put the word "by" for the word "for"?

श्री रामकिशोर व्यास—How do you want to correct it ?

श्री एच. के. व्यास–Sir, everybody will accept this, "by a period not exceeding one year in the aggregate".

श्री मथुरादास माथुर—That is what has been suggested.

श्री चेयरमेन—इसे मि. माथुर की तरफ से अमेन्डमेन्ट में अमेन्डमेन्ट समझ लिया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— मैं इसे वापिस लेने को तैयार हूं ,यदि सरकार इसे ...

श्री चेयरमेन— श्री व्यास अपने अमेन्डमेन्ट को इस शर्त पर वापिस लेना चाहते हैं कि सरकार की ओर से ही यह सुधार कर दिया जावेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरी अर्ज यह है कि मैंने वापस लेने की इजाजत मांगी, लेकिन टेक्निकली यह गलत होगा मेरा एमेन्डमेन्ट मंत्री जी मंजूर करलें और एडिशनल एमेन्डमेन्ट पेश करें जिससे कि इस क्लाज़ को साफ किया जा सके ।

श्री चेयरमेन—मि. व्यास के एमेन्डमेन्ट में बजाय.....

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब मिनिस्टर इन-चार्ज ने मंजूर कर लिया है तो इसे पार्ट ऑफ दि बिल माना जाय ।

श्री चेयरमेन—श्री मथुरादास द्वारा संशोधन का संशोधन क्या सदन को..........

श्री हरिकृष्ण व्यास—As a matter of fact it should be formally moved. This is the correct procedure.

श्री मथुरादास माथुर—Let him be pleased. Then, Sir, you take it as an amendment to put 'by' instead of 'for' and 'year' instead of 'years' and the rest is o.k. You are accepting this amendment?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

श्री चेयरमेन—सदन के सम्मुख प्रश्न है कि श्री एच.के.व्यास का संशोधन, श्री मथुरादास द्वारा उसमें संशोधन प्रस्तुत किये अनुसार, स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड 'संशोधनानुसार स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड 'विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

अब खण्ड ८ प्रस्तुत है । इस खण्ड पर श्री जवानसिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री जवानसिंह—क्लॉज ८ में मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह पूरे क्लॉज को हटा देने से सम्बन्ध रखता है । सरकार ने इस बिल को फ्रेम करने में काफी मेहनत की है लेकिन जगह जगह ऐसा मालूम पड़ता है कि अपना अर्थ सिद्ध करने के लिए कुछ क्लॉजेज रख दिये हैं जैसा कि क्लॉज ८ को देखने से मालूम पडता है । इसको ठीक तरह से, गम्भीरता से देखा जाय तो मतलब साफ तौर से हल हो ही जाता है । सरकार ने

[श्री जवानसिंह]
अपने हाथ में ऐसी ताकत रखने की कोशिश की है जिसके जरिये से किसी पंचायत में किसी वजह से कोई पंच नहीं चुना गया है वहां पर अपने मनमाने तौर पर अपने खुद के आदमी को उस पंचायत में पंच बनाया जा सके। क्लॉज़ नं० २० सरकारने क्यों रखा है कोई जगह खाली होने पर किसी व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से चाहे वह जगह खाली हो या किसी कारण से वह जगह खाली हो सके जब कि एक तरीका कायम कर रखा है और जैसा श्री हरिकृष्ण व्यास के अमेन्डमेन्ट ५३ से साफ है कि क्यों नहीं उनका इलेक्शन उसी प्रकार से होवा है जिस प्रकार कि पहले पंच इलेक्ट हुआ करते हैं? क्या वजह है कि क्लॉज नं० ८ रखा जाय? सरकार ने अपने हित में और मनमानी करने के लिए ही यह क्लॉज रखा है, यह प्रोविजन रखा है। जैसा उम्मीद नहीं करते हुए भी उम्मीद करना चाहिये कि सरकार को पक्षपात करने देने का मौका किसी को नहीं देना चाहिये और न मनमानी करने के लिए ही कोई गुन्जाइश रखनी चाहिये। अगर ऐसा ही हो तो यह क्लॉज तो उड़ा दिया जाय और जो क्लॉज २० में प्रोविजन किया गया है कि फिर उसी ढंग से इलेक्शन हो तो वैसे ही इलेक्शन किसी भी जगह के लिए रखे जांय, चाहे वह जगह किसी भी वजह से क्यों न खाली हो। सरकार क्यों ऐसा ख्याल करती है कि सरकार द्वारा ही जो पंच की जगह खाली हुई है वह भरी जायगी? क्यों नहीं वह पहले ही की तरह इलेक्शन करवा कर उसे भरवाती है। जिस तरीके पर एक दफा चुनाव होता है तो दूसरी दफा भी उसी ही तरह चुनाव होने चाहिये। अगर इस तरह से नहीं करवाती है तो सरकार को डर है कि चुनाव होगा तो शायद जिस व्यक्ति को वह चाहती है वह नहीं चुना जा सकेगा। किन्तु वह यह खयाल नहीं करती है कि वहां चुनिन्दा व्यक्तियों की ही पंचायत होनी चाहिये। इसलिए इस पक्षपात को हटाने के लिये, इस मनमानी को दूर करने के लिए माननीय मंत्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चेयरमेन—श्री व्यास और यादव का भी इसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट है।

श्री गोपीलाल यादव--मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि क्लाज ८ को डिलीट कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस क्लॉज की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। पंच न चुना जाय यह नामुमकिन है। जब चुनाव ही होगा तो पंच जरूर चुना जावेगा। चुनाव के कायदे मुकर्रर हुए हुए हैं। कायदे के मुताबिक नॉमिनेशन पेपर्स लिये जावेंगे। नॉमिनेशन पेपर्स के आने के पश्चात उनकी जांच होगी और फिर वोट्स लिए जावेंगे। यदि कोई वोट्स नहीं देते हैं तो जो आदमी नॉमिनेशन भरता है वह इलेक्ट हो जाता है। यदि नॉमिनेशन पेपर टाइम पर नहीं आते हैं तो दुबारा इलेक्शन की डेट मुकर्रर की जाती है। फिर भी यदि कोई नहीं आता है तो पंचायत पर प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं होती। पंचायत चाहती ही नहीं तो फिर जरूरत क्यों पेश आए? अगर मान लिया जाय कि दो आदमी ही आए तो उनके लिए वेलेट्स डालकर देखा जा सकता है कि कौन चुना जाय। इसलिए क्लॉज नं० ८ अननेसेसरी है और कहीं पर भी, चाहे पार्लियामेन्ट लीजिये या दुनिया के किसी भी जगहों में ऐसा क्लॉज नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि "It should be deleted".

श्री चेयरमेन (हिम्मतसिंह)—श्री व्यास ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे दो अमेन्डमेन्ट हैं। पहले निगेटिव पर फैसला हो जाय तो फिर मैं दूसरे को मूव करूं ।

श्री चेयरमेन—आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस पर फैसला हो जाय तो मैं अपने अमेन्डमेन्ट पर फिर कहूंगा ।

श्री बी. एन. जोशी—On a point of Order, Sir, जो धारा ८ के विषय में प्रस्तुत किया गया है मैं इस विषय में अपनी राय रखना मुनासिब समझता हूं। मैं इस संशोधन के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। पहला संशोधन तो इस बारे में है कि अगर एक चुनाव में एक पंच न हो, तो दुबारा चुनाव किया जाना चाहिये। इस बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन रखा गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि सारे पंचो का चुनाव चुनावों के तरीके से नहीं हो सकता। दूसरी मर्तबा चुनाव नहीं होना चाहिये, नॉमिनेशन ही होना चाहिये।

श्री हरिदत्त—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अमन्डमेन्ट तो क्लाज ८ को डिलिट करने के लिए हैं ।

श्री चेयरमेन—You might not have read the agenda?

श्री बी. एन जोशी—I have read, I cannot understand because these are number of lists circulated.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of information, Sir, will it not be proper to convey to the Hon'ble Member that at the present moment only one amendment is under discussion?

श्री बी. एन. जोशी—Then I confine myself to the amendment regarding deletion. इस बारे में यह बात समझ लेना जरूरी है कि इस क्लॉज को डिलिट कर देने से कई नुक्स इसमें रह जावेंगे जो कि कानून बनाते वक्त जरूर ध्यान में रखे जाने चाहियें। मान लीजिए कि कोई ऐसी परिस्थिति आजाय तो उस वक्त में सरकार क्या करेगी ? कौनसा ऑर्डर लेकर उस परिस्थिति को सम्भाला जायगा ? एक जो परिस्थिति इसमें और आजाती है, जो नामुमकिन नहीं है कि कोई पंच चुनाव में रह जाय अर्थात् चुनाव ही न हो चुनाव के तरीके को एडॉप्ट करने के बाद, तो फिर इस क्लॉज से सहारा मिलेगा। क्योंकि एक एक पंचायत में पांच पांच सात सात गांव होते हैं और गांवों के लोग न आ सकें यह भी मुमकिन हो सकता है कि किन्हीं कंसीडरेशन की वजह से वे न आ सकें और आठ पंचों में से ७ चुने बिना रह जावें तो वैसी स्थिति में क्या किया जावेगा। कोटे को तो मुकर्रर करना ही पड़ेगा। आधे या इससे ज्यादा पंचो के बिना कोई पंचायत कायम रह जाय यह तो नामुमकिन है । अतः यह क्लॉज रहना जरूरी है जो कि माकूल इन्तजाम करने के लिए काफी है । इस प्रजातंत्र के युग में एक दफा लोगों को तो मौका दिया

(श्री बी. एन. जोशी)

जाय लेकिन जो प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनका सामना करने के लिए इस क्लॉज का रहना आवश्यक है। इस क्लॉज से लोगों को चुनाव के लिए नहीं रोका जाता है, किन्तु यदि लोग अपने पंचायत में लागू होने वाले हकों को उपयोग में नहीं लाते हैं तो व्यवस्था के लिये यह जरूरी है। इस क्लॉज से उनके हकों के उपयोग को रोका नहीं जाता है।

दूसरी बात है, पंचायत तीन साल तक काम करे। इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि इसमें हमें व्यवहारिकता पर ध्यान देना चाहिये और इसके बारे में हमें गवर्नमेन्ट को भी कुछ अधिकार देने चाहियें, आखिर काम तो उसी को करना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लायक दोस्त एक बात का तो ख्याल हमेशा रखते हैं कि सरकार की आलोचना करने का जब भी कभी डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली मौका मिलता है, आलोचना करनी चाहिये। पर मेरा निवेदन है कि हमें इसके साथ साथ व्यवहारिक तौर पर भी देखना पड़ेगा, केवल आलोचना से काम नहीं चलने वाला है। इसलिये मेरा मत है कि यह डिलिट नहीं किया जाना चाहिये।

श्री वेदपाल त्यागी—धारा ८ के बारे में बड़ा भ्रम हो गया है, ऐसा लगता है। मैं निवेदन कर दूं कि यह धारा इसलिये बनाई गई है कि जिन गांवों में या स्थानों पर मेम्बर नहीं चुने गये हों उनके लिये पंचायत ऑफिसर को अधिकार दिया गया है कि वह उस स्थान पर किसी को नॉमिनेट कर दे। ऐसी हालत में यह दफा उसी वक्त इस्तेमाल में आ सकती है जब कि पंचायत का चुनाव हो गया हो। पर कुछ लोग उस पंचायत को पूरा करने के लिए रह गये हों, और इस बिना पर वह पंचायत बैठ न सकती हो तो इस दफा के अन्तर्गत वे चुन लिये जायं और पंचायत का काम न रुके। इसलिए व्यवहारिक तौर पर दफा बिलकुल ठीक है।

यह बात दूसरी है कि चुनाव का एक बार और मौका दिया जाय या नहीं।

अतः मेरा निवेदन है कि मूवर महोदय इस पर फिर विचार कर लें। इसके अभाव में हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण चला जावेगा।

श्री चेयरमेन (हिम्मतसिंह)—(श्री रामकरण जोशी को संकेत करते हुए) आप सब अमेन्डमेन्ट्स पर एक साथ बोलेंगे या एक एक पर ?

श्री रामकरण जोशी—एक एक पर पहले बोलूंगा।

इस क्लॉज के अभाव में हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण चला जावेगा और एक लेक्यूना रह जावेगा। इसके लिये एक आदमी को नॉमिनेट करने का अधिकार पंचायत ऑफिसर को दिया जावे इसलिये कि पंचायत का काम अच्छी तरह से चले। इसलिए मेरे साथी अपना संशोधन वापिस लेने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

श्री भवानसिंह—(खड़े हुए)

श्री चेयरमेन (श्री हिम्मतसिंह)—Do you want to reply ?

श्री जवानसिंह—No Sir..........

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमैन, इसमें जो बाद में संशोधन आया है उसमें यह भी है कि अगर इलेक्शन न भी हुवा होतो दुबारा इलेक्शन कराया जावे। अगर यह अमेन्डमेन्ट ले लिया जावे तो इसको विद्ड्रॉ करने में कोई मुश्किल नहीं होगी।

एक पंच का इलेक्शन नहीं हुवा तो पंचायत अफसर ने पंच नॉमिनेट कर दिया और वह भी तीन साल तक ऑफिस होल्ड करेगा तो यह चीज़ ठीक नहीं है। अगर एक-दो पंचों का चुनाव होने से रह गया है तो तीन-चार महिने में चुनाव दुबारा करा देना चाहिये। और इसके लिये तो कोई कारण दुनियां में नहीं हो सकता कि दूसरा चुनाव हो नहीं सकता। बड़े बड़े चुनाव दुबारा होते हैं, सब का प्रबन्ध होता ही है, । इसमें कोई असम्भव जैसी चीज में नहीं मान सकता। इसलिए मेरी राय तो यही है कि अगर आप इस पॉवर को रखते भी हैं तो साथ ही दूसरा अमेन्डमेन्ट स्वीकार करके एक नियत अवधि में दुबारा चुनाव करादें और इस बीच जो नॉमिनेटेड हों तो उसकी अवधि ६ महिने से अधिक न हो। इस ६ महिने में दुबारा चुनाव हो सकता है और बड़ी आसानी से हो सकता है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करलें तो मुझे इसको लेने मेंकोई एतराज नहीं है।

श्री रामकरण जोशी—ऐसा अमेन्डमेन्ट आवेगा तो विचार करेंगे। अभी तो इस पर विचार करना है। हां, यह मैं मानता हूं कि छ महीनों में इलेक्शन दुबारा हो जावे।

श्री तेजसिंह—इस खण्ड में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

In line 4 after the words "Panchayat Officer" insert the following:—

"may give them a second chance to elect the requisite number of Panchas and on their failure he."

इस संशोधन के स्वीकार होने पर संशोधित खण्ड इस प्रकार हो जावेगा—

"If on the date fixed for election the electors of a Panchayat Circle or of any Ward thereof fail to elect the requisite number of Panchas, the Chief Panchayat Officer may give them a second chance to elect the requisite number of Panchas and on their failure he shall appoint a person or persons, as prescribed, to complete such number and every person so appointed shall be deemed to be a duly elected Panch".

माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि वे इस बात को मानने को तैयार हैं, ऐसी स्थिति में मेरे लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती और चूंकि उन्होंने यह भी कहा है कि ६ महीने के अन्दर ही चुनाव हो जायगा तो ये शब्द और जोड़ दिये जाएं तो ठीक होगा।

श्री चेयरमेन—श्री भैरूंसिंह

श्री भैरू सिंह--मेरा संशोधन इस प्रकार है :—"Add the following in the last line of this clause after the word 'Panch'—'for a period not exceeding six months". चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज पर काफी वाद-विवाद हो चुका है और माननीय मंत्री महोदय का आश्वासन भी मिल चुका है कि वे इस संशोधन को मन्जूर करने को तैयार हैं। इसलिए सदन का ज्यादा समय न लेकर यदि माननीय मंत्री इसको मन्जूर करने को तैयार हैं तो ऐसी स्थिति में ज्यादा न कहकर वाद-विवाद समाप्त करूंगा।

श्री चेयरमेन (हिम्मतसिंह)--संशोधन संख्या ३०

श्री गोपीलाल यादव—वह जो अमेन्डमेन्ट आप स्वीकार करने को तैयार हैं तो क्लॉज ८ के पश्चात ये शब्द होंगे:—" till a bye-election to fill a vacancy or vacancies is held within a period not exceeding six months". लेंग्वेज में गौर करने की बात हो तो वह बाद में भी कर सकते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—बाद में कैसे करेंगे, पास तो अभी करना है ? That is not bye-election, that is election.

श्री गोपीलाल यादव—That is always a bye-election.

श्री रामकरण जोशी--"For a period not exceeding six months".

श्री गोपीलाल यादव—Agreed.

(श्रीजवान सिंह, श्री तेजसिंह और श्री गोपीलाल यादव ने सदन की अनुमति से अपने संशोधन वापिस लिये, तथा श्री हरिकृष्ण व्यास की अनुपस्थिति में उनका संशोधन अस्वीकृत रहा)

श्री राजा मानसिंह--Sir, the suggestion made by the Hon'ble friend that the words "for a period of six months" be added to the clause, does not make the sense complete. A man may be nominated to fill a vacancy for six months and after that another man may be nominated for another six months. There will be no guarantee that there will be an elected Panch to fill the vacancy after the period of six months.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी-On a point of order, Sir, the Hon'ble Member just rose to object this provision. I have to say that there is not a single provision in the entire body of this Bill which can authorise the Government to make such nominations one after another, after the expiry of the term of one such appointed person. I do not think he can quote any single provision in the entire Bill.

राजा श्री मानसिंह—There is nothing to debar Government from doing this.

श्री वेदपाल त्यागी—Government cannot do so unless it has been empowered by the Act and the Government has not been empowered under this Act, and therefore after six months Government would not be entitled to nominate anybody.

श्री टीकाराम पालीवाल–It is perfectly clear. Nomination can be made only or six months.

श्री चेयरमेन—There is no necessity of discussing this.

श्री रामकरण जोशी—मेरे खयाल से इस भाषा से मतलब साफ हो जायगा। "provided that the person or persons who are so appointed shall not hold office for six months in the aggregate, unless duly elected."

श्री हरिदत्त— चेयरमेन महोदय, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट कन्सीडर कर ली गई है या नहीं ? उसमें मूव यह किया गया है—

"In the opinion of the Committee the provision as it stands is perhaps too liberal in as much as it does not impose any limitation on the discretion of the Chief Panchayat Officer in the matter of nominations, and further it does not limit the period for which such nominated members should hold office. The Committee think that the nominations should be made by the Chief Panchayat Officer on the recommendations of the Sarpanch and that the Panchas so nominated should not hold office for a period exceeding 6 months. The Committee further consider that the number of Panchas so nominated should not exceed half the total number of the seats in any particular Panchayat.

The Committee have not, however, inserted any provision in order to give effect to the above view in the Bill, as in their opinion, such matters should find a place in the rules that may be framed by the Government by virtue of the power vested in them under the Act."

I presume now that the period of six months has been provided in the t while the other matter has been left to be considered when the are framed.

श्री भैरूंसिंह—मेरे एमेन्डमेन्ट के आगे इस प्रकार के शब्द —............for a period not exceeding six months, unless he is duly elected".............

श्री चेयरमेन—You want to withdraw your amendment?

एक सदस्य—It has been accepted by the Minister-in-charge, Sir.

श्री चेयरमेन–The question is that amendment to Clause 8 by the Minister-in-charge be accepted

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

राजा श्री मानसिंह—Sir, can the clause be read out again by the Hon'ble Minister as he wishes it to put ?

श्री चेयरमेन—It has been put now.

राजा श्री मानसिंह—Can he read out the words that he added ?

श्री चेयरमेन—The Question before the House is that the amended clause 8 which is as under, stand part of the Bill—

"If on the date fixed for election, the electors of a panchayat Circle or of any ward thereof fail to elect the requisite number of Panchas, the Chief Panchayat Officer shall appoint a person or persons as prescribed to complete such number and every person so appointed shall be deemed to be a duly elected Panch :

Provided that the person so appointed shall not hold office for a period exceeding six months, unless duly elected".

(स्वीकृत)

Clause 8, as amended, is added to the Bill.

श्री चेयरमेन—खण्ड ९, इस पर भी सदस्यों के कुछ संशोधन हैं। श्री तेजसिंह।

कुंवर श्री तेजसिंह—चेयरमेन महोदय, मेरा संशोधन यह है :–

"Delete the following words occurring in line 3 and 4:—

'and the Government considers it desirable that some such pers[on] should be a Panch of that Panchayat'...

दूसरा संशोधन इस प्रकार है :—

"In line 5 insert the following words after the word 'Government'.—

'On recommendation of a person by the Panchayat".

तीसरा संशोधन इस प्रकार है :—

Page No.71

[कुंवर श्री तेजसिंह]

"Add the following explanation to the clause at the end.—

Explanation.—This clause shall be in force only for seven years from the date this Act comes into force in Rajasthan,"

इस प्रकार एमेण्डेड क्लॉज इस प्रकार होता है :—

"If no person belonging to any of the Scheduled Cases has been elected to a Panchayat, the State Government on recommendation of a person by the Panchayat may appoint any such suitable person, otherwise qualified for being a Panch thereof, to be the additional Panch of such Panchayat. Such additional Panch shall in all respects and for all purposes be deemed to be a duly elected Panch.

Explanation —This clause shall be in force only for seven years from the date this Act comes into force in Rajasthan."

मेरा पहला संशोधन, माननीय चेयरमेन, कुछ शब्दों को हटाने का है। वह यह है "and the Government considers it desirable that some such person should be a Panch of that Panchayat". यह भाषा बड़ी ही कमजोर है कि यदि सरकार चाहे तो हरिजन मेम्बर को बढ़ा सकती है। यह शब्द हटा दिये जायेंगे तो यह चीज हो जायगी कि जिन पंचायतों में हरिजन सदस्य नहीं हैं तो वहां अनिवार्य रूप से हरिजन सदस्य होना चाहिये। यह मन्शा इन शब्दों को हटा देने की है कि उनमें अनिवार्य रूप से हरिजन सदस्य हो जायं और न कि उसे सरकार वैसे ही अपनी ओर से मुकर्रर करे।

दूसरा संशोधन इसलिए है कि मुकर्रर करने में सरकार अपनी तरफ से जिस किसी हरिजन को चाहे मुकर्रर कर सकती है। मेरा दूसरा संशोधन जो कि इस प्रकार है "On recommendation of a person by the Panchayat." जिसका मतलब यह होता है कि पंचायत की रिकमंडेशन जिस हरिजन सदस्य के लिए हो उसको सरकार एडीशनल पंच पंचायत में मुकर्रर कर दे।

अगर सरकार मेरे दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लेगी तो हरिजन सदस्यों को काफी प्रतिनिधत्व मिल जायगा, और अनिवार्य रूप से उनका एक एडीशनल पंच मुकर्रर हो जायगा।

बाद में जो यह एक्सप्लेनेशन दिया है उसका मतलब यह है कि जो अधिकार मिलेगा इस धारा से वह ७ साल तक लागू रहे और ७ साल के बाद में जहां तक मैं आशा करता हूं कि वह वातावरण उपस्थित हो जायगा कि कोई भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जिसमें हरिजन सदस्य न आयें। इसके बाद उस एक्सप्लेनेशन को हटा सकेंगे या बढ़ा सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे क्यों कि पिछड़ी हुई जातियों का एक पंच अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। इसलिये जो इसकी लचीली भाषा है उसको दूर करेंगे।

श्री **चेयरमेन**—श्री जवानसिंह अपना एमेन्डमेन्ट नम्बर ३१ रखेंगें।

श्री **जवानसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"In the third line the word 'desirable' be substituted by the word 'necessary' and in the fifth line the words 'as recommended by the Panchayat be insterted between the words 'suitable person' and 'otherwise".

मेरा जो संशोधन है कि 'डिजाइरेबल' शब्द के बजाय 'नेसेसरी' वर्ड रखा जाय और 'सच सूटेबल परसन' के आगे मेरा संशोधन है कि निम्न शब्द बढा दिये जायं "as recommended by the Panchayat".

और इस प्रकार से क्लॉज़ नम्बर ९ है आगे जैसा है वैसा रहेगा।

चेयरमेन महोदय, मैं, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस बिल के साथ जो प्रस्तुत हुई है उसमें जो क्लाज नम्बर ८ के बारे में लिखा है उसको देखता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि गवर्नमेन्ट शायद जिस वक्त अपने रूल्स बनायगी, उस वक्त ऐसा प्रोविजन अवश्य रखेगी कि कुछ अरसे के बाद में यह चीज खत्म हो जायगी। अगर हमारे किसी संशोधन को केवल इसी आधार पर कि वह विरोधी दल से आया है आप विरोध नहीं करें और इसकी गहराई को देखें तो जो यह क्लाज ९ में मैंने संशोधन रखा है वह न केवल इस क्लॉज की भाषा को ही सुधारता है बल्कि हरिजनों के अधिकारों को बढ़ाता है। क्या ही अच्छा हो अगर "desirable" की जगह शब्द "necessary" रख दिया जाय ताकि उन्हीं केसेज में, उन्हीं मामलात में किसी वर्ग के खास व्यक्ति को पंच मुकर्रर किया जा सकता है जहां कि असल में जरुरत पड़ती हो, न कि केवल सरकार चाहती है कि वहां एक आदमी रखा जाय इसलिये एक पंच विशेष तौर से विशेष वर्ग का ही रखा जाय। यही केवल सरकार की मन्शा नहीं होनी चाहिये, बल्कि जहां पर आवश्यक रूप से किसी विशेष वर्ग की संख्या ज्यादा नहीं होने की वजह से और दूसरी आबादी के मुकाबले में जिनको वोट नहीं मिल सकता हो, और किसी विशेष वर्ग (शेड्यूल कास्ट्स) का कोई पंच उस पंचायत में नहीं बन सकता हो, इसलिये उन्हें विशेषाधिकार देना आवश्यक है। लेकिन फिर इतना तो कम से कम किया जाय कि जरूरी केसेज में ही शेड्यूल्ड कास्ट्स के मेम्बर को ले लिया जाय, केवल इसलिये नहीं कि आप चाहते हैं बल्कि इसलिए कि कोई विशेष वर्ग का एक आदमी पंच बना दिया जाय।

दूसरा जो मेरा संशोधन है वह तो और भी साफ है कि आप जनता पर ही क्यों नहीं छोड़ देते कि जिस विशेष वर्ग के आदमी को, मेरा मतलब शेड्यूल कास्ट्स से है, लेना है, मैं अर्ज कर रहा था, क्यों नहीं आप पंचों को ही यह अधिकार दे देते हैं कि जिस आदमी को शेड्यूल्ड कास्ट्स में से लेना जिस किसी को भी चाहें अपनी पंचायत में शामिल कर लें। इस प्रकार से आपकी पंचायत के सदस्यों की संख्या पूरी हो जायगी। मेरा ख्याल है कि सरकार अपनी मरजी उनके ऊपर न छोड़े। अच्छा तो यह होगा कि जिस जगह पर एडीशनल पंच की आवश्यकता हो तो वहां के जो अन्य पंच हैं उनको ही अधिकार दे दिया जाय कि वे एक भला आदमी, काबिल आदमी जो शेड्यूल्ड कास्ट्स में से हो, उसको एक सदस्य चुन लें। इस तरह से मेरा संशोधन व्यवहारिक तौर से ठीक है। इसे आप मन्जूर करलें।

श्री हरिदत्त—संशोधन यह आया हुआ है कि 'डिजाइरेबल' की जगह 'नेसेसरी' शब्द आ जाय। मैंने क्लाज २ को देखा है। उससे मैं सहमत हूं कि 'डिजाइरेबल' शब्द जो है वह लीगल इम्पोर्ट नहीं रखता है। उसकी जगह 'नेसेसरी' शब्द आजाना उचित होगा, ताकि गवर्नमेन्ट यदि यह कन्सीडर करे कि वाकई शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों में से एक को लिया जाना जरूरी है, और किसी कारण से और वर्ग के आदमियों ने नहीं चुना और वह ऐसे कारणों को ध्यान में रखते हुए उनमें से किसी एक को लाना जरूरी समझती है इसलिए 'डिजाइरेबल' शब्द के बजाय 'नेसेसरी' शब्द करना उचित होगा।

दूसरा यह है कि वह पंचायत, जो कि किसी शेड्यूल्ड कास्ट्स के आदमी को नहीं ले रही है और उनकी मर्जी के खिलाफ किसी को गवर्नमेन्ट वहां एप्वाइन्ट कर देगी उस वक्त उसमें झगड़ा पड़ेगा और उनको बहुत ही नागवार गुजरेगा। इसलिये उनकी रिकमन्डेशन से नॉमीनेट कर दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। इसको सिलेक्ट कमेटी की क्लॉज ८ के बेसिस पर मैं मानता हूं कि वाकई यह पंचायत की रिकमन्डेशन पर होना चाहिए ताकि गांव में जो हारमॉनी रहती है वह बनी रहेगी।

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ)—माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज पर मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार से है:—

"Delete the words 'appoint any such suitable person, otherwise qualified for being a Panch thereof, to be the additional Panch of such Panchayat. Such additional panch shall, in all respects, and for all purposes, be deemed to be a duly elected Panch' and substituted the words 'order for an additional Panch to be elected amongst the scheduled castes of such Panchayat' after the word 'may' in line five."

चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज पर काफी एमेन्डमेन्ट आये और जहां तक इस क्लॉज की मन्शा को मैं समझ सका हूं वह यह है कि हरिजनों को यदि किसी पंचायत में कोई सदस्य नहीं चुना जाय और सरकार आवश्यकता समझती है कि हरिजनों का रिप्रेजन्टेशन पंचायत में होना चाहिये तो सरकार ऐसा पंच नियुक्त कर सकती है। इसमें जहां तक इस प्रिन्सिपल का महत्व है मैं इससे सहमत हूं कि पंचायत में हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन आवश्यक है, और होना चाहिए। लेकिन यह रिप्रेजेन्टेशन किस प्रकार से हो? यह चीज ऐसी है कि जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। यह क्लॉज इस किस्म की है कि सरकार यदि उसका दुरुपयोग करना चाहे तो कर सकती है। इसका दुरुपयोग करने के कई कारण हैं। वह यह है कि यदि किसी पंचायत का दलगत भावना के आधार पर कोई इलेक्शन हुआ है, उसमें करीब करीब दोनों पार्टीज इस किस्म की आगई हैं कि दोनों के मेम्बर बराबर हैं तो पार्टी के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि कौनसी पार्टी पॉवर में रहे। उसमें कोई पार्टी, यदि उस पार्टी को कहीं पर सरकार हो तो, सरकार से सहायता ले सकती है यह क्लेम करके कि इस पंचायत में हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं है इसलिये हरिजनों का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये, और हरिजन ऐसा होना चाहिये जो उस पार्टी से ज्यादा सहानुभूति रखता हो। इसलिये वह पार्टी इसका दुरुपयोग कर सकती है। कोई भी पार्टी कोई, भी सरकार इस क्लॉज की मन्शा का दुरुपयोग कर सकती है। इन दोनों चीजों को रोकने के लिये मेरा यह निवेदन है कि यदि सरकार यह समझे कि हरिजन सदस्य पंचायत में होना आवश्यक है तो सरकार उस सदस्य

[श्री भैरूंसिह १६]
के इलेक्शन के लिये ऑर्डर कर सकती है और वह हरिजनों में से चुन लिया जायगा, जैसा कि जनरल इलेक्शन में हुआ है। इससे सरकार और पार्टी इस क्लॉज की मन्शा का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। चनाव इस ढंग से हो जायेंगे कि उसके खिलाफ कुछ कहने की गुजांइश नहीं रहेगी, और कोई भी उस क्लॉज का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। आशा है मैंने जो एमेन्डमेन्ट रखा है उस पर गंभीरता से विचार किया जायगा और उसको स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री चेयरमेन (श्री हिम्मतसिंह)—श्री व्यास (श्री एन. के. व्यास के अनुपस्थित होने के कारण अपना संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत नहीं कर सके)

(विराम)

अब मंत्री महोदय जबाव दें।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का यह क्लॉज ९ है उसको वैसा ही रखना चाहिये। इसमें हेरफेर के लिये जो बातें बताई गई हैं उनको देखते हुए उन तरीकों का अभी नहीं अपनाया जाना चाहिये, जिनको कि बताया है।

"डिजाइरेबल" की जगह "नेसेसरी" लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर भी वह 'नेसेसरी' भी गवर्नमेन्ट ही कन्सीडर करती है, गवर्नमेन्ट के सोचने का अधिकार रखा ही जाता है। तो ', नेसेसरी' लिख देने से कोई मतलब में फर्क नहीं पड़ता है, और "डिजाइरेबल" यहां ज्यादा एप्रोप्रियेट मालूम पडता है।

इसके अलावा किसी पंचायत को यह अधिकार दिया जाय कि वह नॉमिनेशन के लिए सिफारिश करे तो यह उस दलगत राजनीति को उभारने की चीज होती है। नॉमिनेशन का अधिकार गवर्नमेन्ट के पास हो और उसी के पास रहना चाहिये। वह दलगत राजनीति जो गांव में जाकर पैदा होगी, उसमें कम से कम नहीं रखी जा सकती है जिससे कि गवर्नमेन्ट को वहां की दलगत राजनीति में जाना पड़े। इसलिये मैं समझता हूं कि यह सिर्फ प्रोपेगेण्डा है, उन लोगों का, जिनके ध्यान में संविधान नहीं है।

यहां एक सज्जन यह कह रहे थे कि ७ साल की मियाद लगा दी जाय। मैं समझता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्युशन में १० साल का टाइम मुकर्रर है, उसको पूरा होने दिया जाय। उसमें पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम उसको एमेन्ड कर सकते हैं। इसको एज इट इज, जैसा है, वैसा, मंजूर किया जाय। और मैं समझता हूं कि हरेक क्लॉज पर कुछ न कुछ एमेन्डमेन्ट पेश करने की ही अगर भावना है तो जरूर पेश करने चाहियें। सरकार जहां जरूरत समझेगी वहां स्वीकार करेगी। माननीय चेयरमेन, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे एमेन्डमेन्ट वापिस ले लिये जावें।

मैं समझता हूं कि हर एक क्लॉज़ में कुछ न कुछ एमेन्डमेन्ट पेश करने की भावना है और उसी भावना से ये पेश किये गये हैं। जिनको सरकार जरूरी अवश्य समझेगी मन्जूर करेगी। शेष एमेन्डमेन्ट्स के लिये मैं निवेदन करूंगा कि सम्बन्धित सदस्य वापिस लेलें। मैं निवेदन करूंगा कि इस एमेन्डमेन्ट को सरकार मन्जूर नहीं करती।

श्री भैरूंसिह (१६)—मैंने जैसा इस संशोधन के प्रस्तुत करते समय सोचा था कि इस एमेन्डमेन्ट को मन्जूर करने से सरकार के हाथ बिल्कुल बंध जावेगें इसकारण सरकार इसको मन्जूर नहीं करेगी; क्योंकि सरकार अपने हाथ को तो खुला रखना चाहती है और दूसरों के बांधना। इससे सरकार के हाथ

[श्री भैरूसिंह १६]

बंध जाते हैं और सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार इसको मन्जूर न करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना चाहती है, वरना इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे इसको मन्जूर करने में सरकार को कोई बाधा आती। यदि आपको हरिजन पंच लेना आवश्यक है तो आप खुशी से लें। आप उसको चुनाव करके लें। आप चीफ पंचायत ऑफिसर के हाथ में उसको एपोइन्ट करने का अधिकार क्यों रखते हैं। यदि किसी जगह १० हरिजन हैं तो हरिजन पंच के लिये वहां की जनता की चोइस पर छोड़ दिया जाए जिससे वे जिसको चुन कर भेजना चाहें भेज दें। ये पॉवर्स किसी गवर्नमेन्ट ऑफिसर के पास क्यों होने चाहिये कि वह जिसे चाहे मुकरर्र करे। इसमें क्या तथ्य है मेरी समझ में नहीं आता।

अभी आपने कहा कि गांवों में दलबन्दी की भावना नहीं है। मगर मैं यह कहूंगा कि इलेक्शन होने के बाद गांवों में भी दलबन्दी की भावना पैदा हो गई है। आप देखेंगे कि आधे लोग किसी पार्टी के पक्ष में हैं और आधे किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में या १।३ किसी दूसरी के पक्ष में। मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि अब जो पंचायतों का चुनाव होगा वह भी पार्टी बाजी मे होगा। पंचों के वोट के लिये कन्वेसिंग होगा और चुनाव ल ा जावेगा; यह बात बिलकुल साफ है। यदि मेरा एमेन्डमेन्ट मन्जूर हो जाता है तो पंचायत स्थापना की वास्त विकता बनी रहती है। सरकार ने इसको इसलिये अपने हाथ में रखा है कि इससे अपनी पार्टी पॉवर म ला सके और ऊपर का चुनाव जीत सके। यदि सरकार की यह मंशा नहीं होती तो सरकार को इसे मन्जूर करने म कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये थी। बस इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री **तेजसिंह**—मेरे संशोधन के सम्बन्ध म मैं यह कहूंगा कि हरिजन पंच होना चाहिय और उसको सरकार की इच्छा पर नहीं छोडा जाना चाहिये; अवश्य ही नॉमिनेट किया जाना चाहिये। मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री **जवानसिंह**—मने जो संशोधन रखा उसका मन्त्री महोदय ने कोई साफ उत्तर नहीं दिया। ऐसा जरूर कहा कि वह 'नेसेसरी' की कोई आवश्यकता नहीं। एसा कहने में उनकी जरूर हठ मालूम होती है जैसी की हमेशा हुआ करती है। अब रहा दूसरे एमेन्डमेन्ट का सवाल। मने अर्ज कर दिया कि ...ह कोई ऐसे व्यक्ति विशेष के हाथ में ताकत के जाने का सवाल नहीं है बल्कि वह पंचायत को ही पॉवर्स ...लते हैं जिसको आप ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं। उसी के जिम्मे काम क्यों नहीं डाल दिया जाए ताकि वे अपने सा यों को साथी मान कर सहयोग से काम करें। एसा यदि मन्त्री महोदय नहीं चाहते तो ठीक है। मैं यह चाहता हूं कि इस विषय पर वोट ले लिये जावें।

श्री **चेयरमेन**—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि श्री तेजसिंह ने जो सशोधन पेश किया है वह स्वीकृत हो।

("हां" तथा "ना" की पृथक पृथक ध्वनियें)

श्री **चेयरमेन (हिम्मतसिंह)**—दोनों पक्ष की आवाज बराबर मालूम होती है। I cannot decide.

श्री **तेजसिंह**—Ayes have it.

श्री **चेयरमेन (हिम्मतसिंह)**—Chair is unable to give any decision.

एक सदस्य—Ayes have it.

राजा श्री मानसिंह—हम तो आपस में बातें करते थे।

श्री **मानसिंह**—चेयरमेन महोदय, क्या हम यह समझें कि यह मन्जूर कर लिया गया ?

एक सदस्य (कांग्रेस पक्ष)—क्या हम यह समझें कि यह वापिस ले लिया गया ?

(५ बज कर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया)

श्री उपाध्यक्ष (श्री लालसिंह शक्तावत)—प्रश्न यह है कि क्लॉज नम्बर ९ पर श्री तेजसिंह का पहला संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

इसी क्लॉज नम्बर ९ पर श्री जवानसिंह का संशोधन है। प्रश्न यह है कि यह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

कु. श्री तेजसिंह का संशोधन नम्बर १३० स्वीकार हो या नहीं, यह प्रश्न है। (श्री तेजसिंह की और संकेत करके) क्या आप विथड्रा करना चाहते हैं ?

श्री **तेजसिंह**—नम्बर टू एन्ड थ्री (१३० और १३१) को विथड्रॉ करना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** (श्री लालसिंह शक्तावत)—संशोधन संख्या १३० विथड्रॉ करने की स्वीकृति के लिये सदन के समक्ष प्रश्न प्रस्तुत है।

(आज्ञा प्रदान हुई)

संशोधन नम्बर १३० विथड्रॉ करने की स्वीकृति दी गई।

श्री **तेजसिंह**—में अपना संशोधन नम्बर २ विद्ड्रा करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** (श्री लालसिंह शक्तावत)—कु. श्री तेजसिंह अपना एमेन्डमेन्ट नम्बर १३१ विद्ड्रा करना चाहतें हैं, स्वीकृति दी जाय या नहीं।

(स्वीकृति प्रदान हुई)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन संख्या १३१ विद्ड्रा करने की सदन द्वारा अनुमति प्रदान हुई।

श्री तेजसिंह—मैं अपना तीसरा संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री चेयरमेन—अब प्रश्न यह है कि श्री भैरूसिंह का क्लाज ९ पर जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जावें।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि खण्ड संख्या ९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड संख्या ९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड संख्या दस; इस पर श्री तेजसिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री तेजसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० की सब-क्लाज (२) में मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

Sub-clause (2) be substituted by the following :—

"(1) No person may vote at any such election :—

(a) Who is of unsound mind ; or

(b) Who has been convicted by a competent court of an offence punishable with imprisonment for a term exceeding six months, such sentence not having been subsequently reversed or the offence pardoned ; or

(c) who is an undischarged insolvent ; or

(d) who has been removed from office under clause 17 sub-clause (4).

Provided that the disqualification (1) under clause (b) will in the case of a person sentenced to imprisonment for a term not exceeding three months, cease to operate after one year after the expiry of the sentence, and, in all other cases, after three years after the expiry of the sentence.

(2) Under clause (d) will cease to operate after the expiry of three years from the date of such removal".

माननीय उपाध्यक्ष जी, मने यह जो संशोधन सब-क्लाज (२) में रखा है उससे यह साफ हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितनी सजा पाये हुए आदमी को कितने अर्से तक वोट देने

[कुंवर श्री तेजसिंह]

का हक नहीं होगा। ओरिजिनल क्लॉज में यह बात साफ नहीं थी। मैंने (बी) में यह साफ कर दिया है कि जिसको किसी कोर्ट द्वारा ६ माह से अधिक सजा दी गई है और जिसको सजा माफ नहीं कर दी गई है उसको वोट देने का हक नहीं होगा। आगे प्रोविजो में मैंने यह भी साफ कर दिया है कि जिसको किसी जुर्म में ३ माह से ज्यादा सजा नहीं हुई है और उस सजा को भुगते हुए उसे एक साल होगया है वह वोट देने का हकदार है और जिसको ६ मास से अधिक सजा हुई है और उस सजा को भुगते हुए तीन साल हो गये हैं उसे वोट देने का हक होगा।

दूसरी बात मेरे संशोधन (डी) में यह है कि जिन लोगों को इस बिल की क्लाज १७ (४) के अंतर्गत दुराचरण के कारण हटाया गया है उन पर भी बन्दिश लगाना जरूरी है, उनको खुला छोड़ना वाजिब नहीं है, उनको मताधिकार देना ठीक नहीं होगा। ऐसे लोगों के बारे में क्लॉज १० (२) में कोई बन्दिश नहीं रखी गई है। ऐसे लोगों को तीन साल के लिये मताधिकार से वंचित रखना आवश्यक है। इसलिये मैंने अपने संशोधन में मूल क्लॉज में दो बातें विशेष रूप से खुलासा कर दी हैं। मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन से क्लाज १०(२) बिल्कुल साफ हो जाता है। इसलिये इस संशोधन को मन्जूर कर लिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

एक माननीय सदस्य—Sir, all the amendments on this clause may be taken together.

श्री **मानसिंह**—जब सभी संशोधन एक साथ लिये जा रहे हैं तो मुझे जो कुछ भी अर्ज करना है वह बाद में अर्ज करूंगा।

श्री **जवानसिंह**—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा संशोधन क्लाज नम्बर १०(२) में इस प्रकार है: "In sub-clause (2), the words, 'within five years before the date of election' be inserted between the words 'moral turpitude' and 'or is'."

संशोधन होने के बाद क्लॉज इस प्रकार रहेगा:—

"No such person shall vote at any such election if he is of unsound mind or has been convicted by a competent Court of an offence invloving moral turpitude within five years before the date of election, or is an undischarged insolvent."

उपाध्यक्षजी महोदय, इस हक को सदस्यों को जरूर मन्जूर करना होगा, चाहे सदन के इस ओर बैठे हुए हैं या उस ओर बैठे हुए हैं क्योंकि यह हक मुल्क के अनेक हकों में से एक है; जिनको नागरिक हक हम कह सकते हैं। यह हक हरेक को देना चाहिये। लेकिन इस मूल क्लॉज में यह रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है कि किसी ने कोई ओफेन्स कर दिया है तो उसको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। उसको वोट देने का यह हक आजन्म नहीं देना सरासर गैर इन्साफ है। यदि आप यह चाहते हैं कि जुर्म करने वाले व्यक्ति को यह हक कुछ अर्से के लिये नहीं दिया जाना चाहिये तो मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इस बात के लिये

[श्री जवानसिंह]
में कदापि तैयार नहीं हूं और न कोई समझदार व्यक्ति तैयार होगा कि किसी व्यक्ति ने एक बार जुर्म कर दिया है तो उसे हमेशा के लिये मताधिकार से वंचित कर दिया जाय।

मैं आपके सामने पुराने जमाने का एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूं और वह यह है कि श्री कृष्णजी महाराज पर मणी की चोरी लगाई गई थी और यह बिल्कुल सही था कि उन्होंने मणी की चोरी नहीं की थी ; किन्तु कुछ परिस्थितियों में उन पर वह चोरी लगा दी गई। हमारे वक्त में भी, चाहे ऐसा कृष्णजी के साथ न हो और दूसरे व्यक्ति के साथ हो किन्तु आप कहेंगे कि चूंकि उसने यह ओफेन्स कर लिया है अत: उसको यह हक नहीं देना चाहिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर उस पर जुर्म लगा दिया गया है तो उसके हकों को हमेशा के लिए नहीं छीनियेगा। उसका भविष्य उसके सामने है और वह सुधारा जा सकता है। अगर उसके साथ कोई कानून ऐसा लगा दिया गया तो उसके लिये पांच साल की मियाद (पीरियड) मुकर्रर कर दी जाय कि उस दरमियान मे वह कोई जुर्म नहीं करता है तो उसको वह हक दे दिया जाय। अत: मैं संशोधन को प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगा कि यह हक जरूरी है और इतनी आसानी से उस व्यक्ति से न छीना जाय अन्यथा उसके साथ अन्याय होगा। मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—Mr. Deputy Speaker, Sir, I move my following amendment:—

"In sub-clause (2) of the clause in line 3 the words, 'or is an undischarged insolvent' be deleted."

माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा ख्याल है कि इस कानून को बनाते वक्त पुराने जमाने की बातों का असर जरूर रहा है। पहले मत-दान का अधिकार प्रोपर्टी के आधार पर होता था और उस समय जिसके पास प्रोपर्टी है या नहीं अथवा किसी ने दिवाला निकाल दिया है या नहीं इस बात को देख कर होता था यह उस वक्त की बात थी। आज भी उसे उसी प्रकार रखा जाय, उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। चाहे एक आदमी फाइनेन्शियल बेन्क्रप्ट हो चुका है, तात्पर्य यह है कि दीवाला निकाल चुका है तो महज इस वजह से उसके नागरिक अधिकार छीने जायं, यह न्याय-संगत बात नहीं जंचती। इसलिए मेरा यह एमेन्डमेन्ट है कि सब-क्लॉज (२) में अन्त म जो शब्द है "Or in an undischarged insolvent" निकाल दिये जायं और इसे "Moral turpitude" तक ही रहने दिया जाय। अमेन्डमेन्ट सेल्फ एक्सप्लेन्ड होने के कारण इसके लिय ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं।

श्री **उपाध्यक्ष**—श्री तनसिंह अपना अमेन्डमेन्ट पेश करेंगें।

श्री **मानसिंह महार**—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

"Add the following words at the end of sub-clause 2 after the word 'insolvent' :—

'or is disqualified to vote under any law for the time being in force.' "

Page No.80

[श्री मानसिंह महार]

इस पंचायत विधेयक के अनुसार जो पंचायत के चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता होंगे उनकी योग्यता दो हों :

पहली तो यह कि जिसने २१ साल की उम्र प्राप्त करली और दूसरी......

श्री **रामकरण जोशी**—माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि मेरे कथन के बाद माननीय मेरे साथी को बोलने की जरूरत नहीं रहती ।

यह क्लाज नम्बर १० का जो भाग है उसको डिलीट कर दिया जाना चाहिये और उसके बजाय भाग (११) में जो है पंचों के लिए, वह आ जावेगा ।

तो मैं समझता हूं कि इस की कोई आवश्यकता नहीं रह जावेगी ।

श्री **तनसिंह**—यह जरा और साफ करदें ।

श्री **रामकरण जोशी**—यह सब क्लॉज (२) यहां से हटा दिया जावेगा और क्लॉज (३) जो है वह (२) बन जावेगा ।

श्री **तनसिंह**—अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो संशोधन पेश किया है उससे मेरे अमेन्डमेन्ट की मंशा हल नहीं होती । मैंने जो निवेदन किया है वह यह है कि जो व्यक्ति मौजूदा नियम के अनुसार वोट देने का अधिकारी नहीं रहता उसको भी पंचायत में वोट देने का हक नहीं रहना चाहिये । जैसे कि पिछले चुनावों में यह देखने में आया था कि बहुत से लोग mal-practices में एन्टर होते हैं तो वे लोग चुनाव आयोग द्वारा वोट देने के अधिकारी नहीं रहे थे । इसी तरह से ऐसे लोग पंचायतों में भी वोट देने के अधिकारी नहीं रहने चाहियें ।

अगर सब सेक्शन (२) हट जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर, जो या तो सजायाफ्ता हैं या दिवालिया करार हो गये हैं वे तो वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं पर जो कानूनन चुनावों में भाग लेने या चुनाव में मत देने के अयोग्य सिद्ध हो चुके हैं वैसे लोगों को पंचायत म मतदान प्रदान करने की योग्यता क्यों दी जाय ?

श्री **रामकरण जोशी**—यह ठीक है कि क्वालिफिकेशन वोट देने की उसम है यह मैं मान लेता हूं ।

श्री **हरिदत्त**—मुझ इसम इतना कहना है कि अगर सब सेक्शन (२) को कम्पलीटली डि[illegible] करना चाहते हैं तो no such person shall vote at any such election if he is of unsound mind; is the Hon'ble Minister ready to make any person of unsound mind eligible to vote ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—It will be very difficult to ascertain who is of unsound mind. There are degrees of soundness. (Laughter). It will be difficult for

[श्री टीकाराम पालीवाल]

the person who prepares a list to find out as to who is of sound mind and who is not. It will be very difficult for the Presiding Officer also to verify this thing. That will create unnecessary administrative difficulties.

श्री जसवन्तसिंह—It is true that there may be a man who is completely mad. He should certainly be debarred from voting.

श्री उपाध्यक्ष—What would be the final shape of this clause ?

श्री रामकरण जोशी—The final shape will be like this. Clause 10(1) would remain as it is except this that the figure "3" in bracket will be omitted.

श्री जसवन्तसिंह—No, because the figure "three" shall be omitted, and the word "and".

श्री गोपीलाल यादव—Yes. In clause 10, sub-section (1), the word "and" and the figure 3 will be deleted. The explanation would remain as it is. Then (2) will be deleted. Sub-clause (3) will be renumbered as sub-clause (2).

श्री उपाध्यक्ष—What about Mr. Tan Singh's amendment ?

श्री रामकरण जोशी—In which clause ?

श्री तनसिंह—I have suggested in regard to sub-clause (2).

श्री उपाध्यक्ष—"Or is disqualified to vote under any law for the time being in force."

श्री एच. के. व्यास—On what point of the clause this has to be inserted, Sir ?

श्री रामकरण जोशी—Sub-clause (3) is to become sub-clause (2). The words "disqualified under any law for the time being in force" will also be added at the end.

श्री एच. के. व्यास—I have only one suggestion to make. That deals with the number of votes not with the right of voting and it would not affect the law. Add this to clause (2) which could be provided somewhere in sub-clause (1).

श्री रामकरण जोशी—Qualifications of voters are provided in the Election Law. We have got District Boards and if a man is disqualified for voting at any election of a District Board, than he is disqualified for voting at any election; for the Lagislature also, and so on.

Page No.82

श्री जसवन्त सिंह—But then the difficulty will arise because in the Lagislature there is a provision that a man must be of sound mind and if any man is of unsound mind under the Act he is disqualified.

श्री टीकाराम पालीवाल—I do not think there is any such thing.

श्री जसवन्त सिंह—It is there in the qualification of the legislators.

श्री टीकाराम पालीवाल—There is a difference between the qualification of candidates and qualification of voters. I do not think the disqualification of unsound mind exists regarding voters.

श्री रामकरण जोशी—We should also bear in mind that a man who is of unsound mind will not come for voting.

श्री जसवन्त सिंह—Do you want to bring a man of unsound mind ?

श्री रामकरण जोशी—तो संशोधन अब इस प्रकार है:—"Substitute the word and bracket and figure 'sub-section (2)' for the words, brackets and figures 'sub-sections (2) and (3)' occurring in the fourth line and delete sub-clause 2 and add the following at the end of sub-clause (1)—

"Unless he is disqualified to vote under any law for the time being in force"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मेम्बर-इन्चार्ज द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

अब प्रश्न यह आता है कि क्लॉज संख्या १० संशोधित रूप में जिस प्रकार सदस्यों के सम्मुख रखा गया, स्वीकार किया जावे।

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

क्लॉज संख्या १०, संशोधित रूप में, बिल में अंग रूप से स्वीकार किया गया।

श्री जसवन्तसिंह—Have the amendments been moved by Hon'ble Members ? The formality has to be gone through.

श्री रामकिशोर व्यास—I think they have no objection. Now they have agreed to this change, and if they want they can withdraw their amendments with the permission of the House.

श्री एच. के. व्यास—No, Sir. That is not the point. The point is whether all the amendments have been formally moved. It is not possible to withdraw at this stage. Of course there is no necessity of that, and if somebody wants it, it is a different matter.

श्री उपाध्यक्ष—He has accepted the amendments.

श्री एच. के. व्यास—Not in the form. The question was that we could to be asked to withdraw our amendments. As a matter of fact, they have been accepted in toto. More than one amendment has been accepted. Therefore there is no question of asking us to withdraw. That is my point. The amendments have been taken in this Bill. So there is no question to withdraw them. They have been accepted.

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन थे उनकी मुख्य मुख्य बातें ले ली गई हैं और दूसरे संशोधनों को वापिस लिये गये मान कर यह रखा गया था और इसको संबने सर्व सम्मति से स्वीकार किया। इसलिये मैंने उन एमेन्डमेन्ट्स को अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं समझी।

श्री एच. के. व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था कि आप हमसे एमेन्डमेन्ट वापिस लेने के लिए क्यों कहते हैं वे तो ....

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर ! क्लॉज ग्यारह श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह— क्लॉज ११ में मेरा संशोधन निम्न प्रकार है। क्लॉज ११ के सबक्लॉज सी के लिये मेरा संशोधन है कि यह सब क्लॉज हटा दिया जावे। दूसरा अमेन्डमेन्ट मेरा इस क्लॉज के प्रोविजो के लिये है कि यह प्रोविजो हटा दिया जावे। प्रोविजो इस प्रकार है :—"Provided that in cases (d), (e) and (f) any person may be declared eligible for election by a general or special order of the State Government in this behalf."

इस प्रोविजो को हटा दिया जावे।

जहां तक सब क्लॉज (सी) का जिक्र है मुझे यह अर्ज करना है कि ऐसी रुकावट हमारे किसी भी चुनाव में नहीं रखी गई है और खास तौर से हम लोग इस सदन के सदस्य हैं उनके लिये भी रुकावट नहीं रखी गई है तो कोई वजह नहीं कि हमारे सीधे सादे पंचायतों के चुनाव में इस तरह की बाधा रखी जावे। इसके लिये मुझे विशेष रूप से सदन को आग्रह नहीं करना है। आशा है सहयोग की भावना से, यह संशोधन मंजूर किया जावेगा।

प्रोविजो के लिये यही कहना है कि सरकार को अपने हाथों में ऐसी कोई चीज नहीं रखनी चाहिये कि जिससे सरकार की तरफ अंगुली उठा कर कोई देख सके।

मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसे ऊँचे धरातल पर रहे कि जिसके लिये किसी को उसकी तरफ अंगुली उठाने की गुंजायश ही नहीं रहनी चाहिये। यह तभी हो सकता है जब कि ऐसे कानून बनाते समय ऐसे प्रोविजो को हटा दें और किसी कानून में पक्षपात करने की गुंजायश, नहीं रखें।

अंत में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे इन दोनों संशोधनों को स्वीकार किया जावे।

Page No.84

श्री हरिकृष्ण व्यास--मेरा संशोधन यह है:—"Delete part (c) of the clause and delete part (d) of the clause and renumber clauses (e), (f) and (g) as (c), (d) and (e) respectively".

मेरे माननीय मित्र ने अभी अमेन्डमेन्ट रखा था जिसकी मंशा यह थी कि इस क्लॉज़ का पार्ट (सी) हटा दिया जावे। मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि पार्ट (सी) को तो हटाया ही जावे पर साथ ही साथ पार्ट (डी) को भी हटा दिया जावे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं पार्ट (सी) और (डी) की तरफ। पार्ट (सी) में लिखा है कि यदि स्टेट गवर्नमेन्ट किसी सोसायटी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दे तो कोई भी मनुष्य जो उस सोसायटी का मेम्बर हो उस चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक प्रोविजो है। यदि स्टेट गवर्नमेन्ट किसी सोसायटी को गैर कानूनी घोषित कर दे तो सरकार को हक होता है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का, नजरबंद करने का, उठा कर जेलों में रखने का; लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों को नजरबंद रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, उनको राज्य-सभा और धारा-सभा के चुनावों में वोट देने का हक दिया गया है, उन्हें भी खड़ा होने का अधिकार दिया गया है और नजरबंद रहते हुए भी ऐसे लोगों ने चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं और अपने विरोधियों की जमानतें तक जब्त करवाई हैं। अब सवाल यह है कि लोक सभा में और अलग अलग राज्यों में की विधान सभाओं में भी नजरबंद लोगों को वोट देने से या चुनाव में भाग लेने से महरूम नहीं रखा गया तो पंचायत के चुनाव के लिये ऐसा व्यक्ति वोट नहीं दे सकता जो किसी संस्था का सदस्य हो जो कि अनलॉफुल करार देदी गई है। वह किसी ऐसी संस्था का मेम्बर है, ऐसा साबित होने पर, तो वह बाहर नहीं रहेगा, अंदर चला जायगा; तो इन चीजों का फैसला कौन करेगा? ऐसे क्लॉज को रखने का मतलब यह हुवा कि विरोधी दल का कोई भी सदस्य पंच नहीं हो सकता। विरोधीदल को दूर रखने के लिए इस क्लॉज का इस्तेमाल किया जायगा। तो विरोधी दल का मेम्बर होना और मौके बे मौके गैर कानूनी कर दी जाने वाली संस्था का मेम्बर होना पंचायत के सदस्य होने से महरूम होना है। यह एक मामूली चीज नहीं है कि सिटीजनशिप के हक को इस तरह जब्त कर दिया जाय। भारत के संविधान के अंतर्गत जो इलेक्शन का कानून बना है उसमें भी लोक-सभा और धारा-सभा के चुनाव के लिये इस तरह की कोई बाधा नहीं रखी गई है, तो फिर पंचायत के लिये इस तरह की बंदिश लगाना खतरे से खाली नहीं है।

इस सेक्शन की क्लॉज (डी) में लिखा गया है कि यदि कोई मनुष्य सरकारी नौकरी से मिस कंडक्ट के कारण निकाल दिया गया हो या सरकारी नौकरी करने के लिये डिस्क्वालीफाइड है तो भी वह पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। यदि यह कायदा आम चुनाव से पहले से बना हुआ होता तो दूसरों की बात तो जाने दीजिए लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों में से कई लोग आज मंत्री नहीं होते। शायद वे चुनाव में खड़े भी नहीं होते। कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो नौकरी से निकाले हुए हैं क्योंकि उन्होंने उस जमाने की हुकूमत की मुखालफत की थी। हुकूमत द्वारा आज हजारों आदमी मिसकंडक्ट का चार्ज लगाकर नौकरी से निकाले जा रहे हैं। आपने फलां मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया कि हमारी तनख्वा बढाई जाय यह सरकार की मुखालफत की, इसलिये आप नौकरी के काबिल नहीं

Page No.85

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो और इस प्रकार यह आपका मिसकंडक्ट है। यह सरकार के सोचने की बात है। अभी तो नहीं, पर मौका आयगा तब मैं इस विषय पर बहस करूंगा। लेकिन यदि सरकार ने उनको नौकरी के काबिल नहीं समझा और निकाल दिया तो वे, बिना किसी अपने दोष के, गलत तरीके अनागरिक बन जाते हैं। उन्होंने अगर किसी का पक्षपात किया हो या भ्रष्टाचार के अपराध में नौकरी से निकाल दिये गये हों तो दूसरी बात है परन्तु जब अपने हकों के लिये लड़ने के कारण यदि नौकरी से निकाल दिये जायं तो क्या उनको पंचायत के चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होना चाहिये। ये दोनों पार्ट (सी) और (डी) नागरिक अधिकारों के खिलाफ हैं बल्कि ये बुनयादी अधिकारों के खिलाफ हैं क्योंकि नागरिक अधिकार इन बातों पर ही आधारित नहीं रखा गया है और न ही रखा जाना चाहिये। इसलिये सदन के सामने मेरा यह सुझाव है कि इस क्लाज के पार्ट (सी) और (डी) को निकाल देना चाहिये उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें रहने देना खतरनाक होगा।

श्री भैरूं सिंह (१९)—माननीय उपाध्यक्ष जी, इस क्लाज में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है—

"(a) Delete sub-clause (c).

(b) Add the words, 'and published in the Rajasthan Gazette' after the word 'service' in the last line of sub- clause (d).

(c) proviso be deleted".

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में इस क्लॉज के द्वारा यह मंशा रखी गई है कि कौन कौनसे व्यक्ति ऐसे होंगे जो पंचायत के चुनाव में भाग ले सकेंगे अर्थात् कौनसे कौनसे व्यक्ति पंचायत के इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। जो डेफिनिशन इसमें दी गई है उस क्लॉज के सब क्लॉज (सी) के द्वारा ऐसे व्यक्ति, जो किसी पार्टी से संबन्ध रखते हैं, जिनको सरकार ने नाजायज करार दे दिया है वे शख्स उस पंचायत के इलेक्शन में खड़े होने से वंचित रह जावेंगे। इस क्लॉज को हटाने के लिये मेरा संशोधन है। इस संशोधन के बारे में कुछ वादविवाद हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर इतना ही कहूंगा कि अगर राजस्थान पार्टियों की सरकार हो तो ऐसी सूरत के अन्दर एक पार्टी की सरकार दूसरी पार्टी जिसको वह अपनी विरोधी पार्टी समझती है, को दबाने के लिये इस प्रकार के कानूनों का सहारा लेकर पंचायतों के इलेक्शन में अपनी पार्टी को जिताने के अभिप्राय को पूरा कर सकती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी का संविधान के अन्तर्गत दी हुई सुविधाओं के अनुसार, विरोध कर सकती है और मुमकिन है वह विरोध सत्तारूढ़ पार्टी को पसन्द न आवे और पसन्द न आने के कारण से वह पार्टी विरोधी पार्टी को गैर कानूनी घोषित कर दे और ऐसे समय गैर कानूनी घोषित कर दे जब कि उस पार्टी को हाईकोर्ट में गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स को चेलेन्ज करने का मौका भी न मिले और ऑर्डर्स मन्सूख कराने का भी मौका न मिले और इस बीच में ही पंचायत के इलेक्शन करवा कर वह अपनी पार्टी को जिता दे, तो इस क्लॉज से वह मंशा पूरी हो सकती है। सरकार, चाहे किसी भी पार्टी के खिलाफ इस क्लॉज का दुरुपयोग कर सकती है। मैंने इसी विचार से यह संशोधन प्रस्तुत किया है। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे और विचार करने के पश्चात् इस संशोधन को मंजूर फरमावेंगे।

Page No.86

श्री **जसवन्तसिंह**–Sir, I would request my Hon'ble friend on that side whether he can meet us half way or accept our suggestion.

श्री **उपाध्यक्ष**—There are two more amendments.

श्री **जसवन्तसिंह**--अगर माननीय मन्त्रीजी इस संशोधन को मानने के लिए तैयार हों तो इस सदन का समय क्यों लिया जाय।

श्री **गोपीलाल यादव**–तैयार करने के लिये एक दो आदमियों को बोलना पड़ेगा। (हँसी) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा मेरे मित्र ने कहा कि असेम्बली मेम्बर्स, पार्लियामेन्टरी मेम्बर्स जो डिस्क्वालिफिकेशन रखने के लिए नहीं रखे गये हैं इस प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन्स रखना उचित नहीं है। क्लाज (सी) और (डी) इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। मेन्टल डिफेक्ट के लिए सब क्लॉज (जी) में आ ही जाता है। कन्विक्टेड और इन्सोलवेन्ट इन दोनों को इसमें और शामिल कर लिया जाय और क्लॉज (सी) और (डी) हटा दिया जाय। प्रोविजो को भी निकाल दिया जाय। प्रोविजो के अनुसार जो पंचायत के अन्दर ओफिस होल्ड करता हो तो उसको भी लेजिबल करार दिया गया है। यह दुनियाँ भर के सिद्धान्तों के खिलाफ है। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको मंजूर करें लेंगे।

कुंवर श्री **तेजसिंह**—मैं निवेदन करूंगा कि मेरा जो संशोधन है वह अलग तरह का है और उसे बाद में लिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**--Do you not want to move it.

कुंवर श्री **तेजसिंह**—मैं तो यह चाहता हूं कि यह प्रोविजो जो है उसे डिलीट कर दिया जावे।

श्री **गोपीलाल यादव**—वक्त खत्म हो गया है।

श्री **रामकरण जोशी**—जो सुझाव आये हैं वे ऐसे तो नहीं माने जा सकते..........

राजा श्री **मानसिंह**—We may also be given time to support the members on our side.

श्री **जयनारायण व्यास** (मुख्य मंत्री)-- be taken tomorrow.

श्री **उपाध्यक्ष**—चूंकि समय हो गया है इसलिये आज की कार्यवाही समाप्त की जा कर कल दो बजे (मध्यान्तर) सभा की कार्यवाही आरम्भ होगी।

(सदन की कार्यवाही ६ बजे कर १५ मिनट (सायं) पर दिनांक २५ फरवरी, १९५३, के २ बजे मध्यान्ह तक के लिये स्थगित की गई।)

सभा भवन,
जयपुर,
२४ फरवरी सन १९५४

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।